

nt>

14.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF BANKING REGULATION (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ORDINANCE

AND

BANKING REGULATION (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

Title: Combined discussion on Disapproval of Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Ordinance, 2004 (No. 30 of 2004) and passing of Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Bill, 2004 (Resolution Negatived and Bill passed).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up items 17 and 18 together. I would request Shri Ramji Lal Suman to move the Statutory Resolution. Mr. Suman, you are only to move the Resolution.

SHRI RAMJI LAL SUMAN (FIROZABAD): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Ordinance, 2004 (No. 3 of 2004) promulgated by the President on 24th September, 2004."

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949 and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

"That this House disapproves of the Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Ordinance, 2004 (No. 3 of 2004) promulgated by the President on 24th September, 2004."

"That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949 and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, be taken into consideration."

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश है, यह सम्भवतः 16 नवम्बर, 2004 को जारी हुआ। बुनियादी तौर से अपैक्स बैंक, महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो एक फैसला मुम्बई उच्च न्यायालय का हुआ था, उसके खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की और 29.10.2003 को उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, उसी फैसले को लागू करने के लिए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए यह आर्डिनेंस निकाला गया है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला 29 अक्टूबर, 2003 का था। इसे एक साल से ज्यादा का समय हो गया और जब यह आर्डिनेंस जारी हुआ तो उसमें यह कहा गया कि चूंकि संसद सत्र में नहीं चल रही है और राष्ट्रपति महोदय इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनके कारण उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए बैंकारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2004 (2004 का संख्यांक 3) 24 सितम्बर, 2004 को पुरःस्थापित किया गया।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो आर्डिनेंस निकाला गया, इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक बहुराज्यीय सहकारी समितियों को बैंकिंग लाइसेंस जारी कर सकता है। बैंकिंग लाइसेंस जारी हो, वह तो एक अलग सवाल है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गत वॉ में बैंकों में और विशेषकर सहकारी बैंकों में जो कामकाज का, तरीका रहा है, उस तरीके को ज्यादा संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हजारों करोड़ों रुपये के घपले प्रकाश में आये हैं और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रति आम आदमी का विश्वास रोज डगमगा रहा है, उनमें रोज अविश्वास पैदा हो रहा है। इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, इसलिए मेरा आपके मार्फत विनम्र आग्रह यह है कि यह जो आर्डिनेंस जारी हुआ है, इसमें सिर्फ एक पहलू है कि जो राज्य सहकारी समितियां हैं, उनको बैंकिंग लाइसेंस जारी कर देंगे, लेकिन कोआपरेटिव सैक्टर में और खास तौर से वित्तीय संस्थाओं में जो पनप रहा अविश्वास है और जो सारे घोटाले हैं, उन पर जब तक व्यापक तौर से सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई आर्डिनेंस नहीं लायेगी, सदन में चर्चा नहीं करायेगी तो मैं नहीं समझता कि इसके कोई कारगर परिणाम निकल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्डिनेंस जारी हुआ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों को जो लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं, उन लाइसेंसों के साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि इन बैंकों का कामकाज ढंग से चले। उनके प्रति जनता में जो अविश्वास पनप रहा है, वह दूर हो। उनका काम पारदर्शी हो और सहकारी बैंकों के इस सिलसिले में जो करोड़ों-अरबों रुपये के घोटाले प्रकाशित होते रहे हैं, उसके प्रति भी जनता में एक विश्वास पैदा हो। मैं समझता हूँ कि एक व्यापक चर्चा के बाद अगर सरकार कोई बिल लाती तो वह ज्यादा ठीक होता।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I rise to support this Bill because this was a Bill that was actually piloted during the time of the previous Government. At that time, it was referred to the Standing Committee on Finance and it was discussed in detail. Basically, it is a Bill that has been influenced by the JPC on the Stock Market Scam. The JPC had recommended about the dubious role played by many cooperative banks, like Madhepura Mercantile Cooperative Bank and the Lucknow City Cooperative Bank.

It was felt that there should be a regulatory mechanism under the Reserve Bank of India, and the Reserve Bank should have control over the cooperative banks. In the JPC, in the media and outside also it was asked as to what the RBI was doing when thousands and thousands of crores of rupees of the small depositors were simply swindled by operators like Ketan Parekh and others. Then, the Reserve Bank expressed its inability to do anything. When the Reserve Bank officers were asked as to why they did not take any action, they said that it was not their job and that it was the Registrar of Cooperative Societies of the State who was supposed to take the action. The dual control -- one, by the Reserve Bank of India; and another, by the Registrar of Cooperative Societies of the State -- led the cooperative societies nowhere, and the small depositors and the stand-by onlookers were looking helplessly when their money was thrown to the winds.

Since the Thirteenth Lok Sabha was dissolved, the Bill collapsed, and it is good that the present UPA Government is piloting this Bill again. I support this Bill. I will not go into the details of the Bill because the hon. Minister, who is here, will explain them. One good thing about this Bill is with regard to clause 36AAA which says,

"Where the Reserve Bank is satisfied that in the public interest or for preventing the affairs of a multi-State co-operative bank being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or of the multi-State co-operative Bank or for securing the proper management of the multi-State co-operative bank, it is necessary so to do, the Reserve Bank may, for reasons to be recorded in writing, by order, supersede the Board of Directors of such multi-State co-operative bank for a period not exceeding five years."

I am fully one with this provision contained in the Bill. With this clause, whenever it feels that it should have the control, the Reserve Bank of India will have operational flexibility.

The Board of Directors of any commercial bank is under the supervision and control of the Reserve Bank of India. So, why should we not do it in the case of cooperative societies? Cooperative societies also should be brought under the administrative control of the Reserve Bank of India. In a way, they have been brought here on par with other commercial banks. This is one of the provisions by which the Government has tried to bring the cooperative societies on par with the commercial banks.

I would suggest the hon. Finance Minister that the CRR and SLR of cooperative societies should also be brought under the control of Reserve Bank of India. Just like any commercial bank, they should also maintain CRR, SLR, and things like that.

I feel -- the hon. Minister will correct me if I am wrong -- that if the cooperative societies take deposits only from their members, they will not be covered under this regulation. To be away from the purview of this regulation, they must not add words like 'bank' or 'banking' to their functions. If a certain bank or organisation declares itself as a bank, then only I think the provisions of this Bill will apply to that organisation. Whenever a cooperative society accepts deposits from the common public, the Government through the Reserve Bank of India must have full control over these cooperative societies.

Yesterday during the Calling Attention, we heard the hon. Minister reply to hon. Members' queries on the dissolution of the Global Trust Bank. If cooperative societies are brought under the purview of the Reserve Bank of India, when a cooperative society goes bankrupt, it would be the Government which would be at fault. People would be pointing an accusing finger only at the Government and not at anybody else. So, the Government must have full control of the cooperative societies that take deposits from the common public.

I have two or three suggestions to make before I conclude. Any cooperative society with a paid up capital of a certain limit should be compulsorily audited. The Government should bring forward a Bill to that effect. If, in the audit so conducted, it is found that there is some lacuna somewhere, the Government should also provide for punishment. I recommend the hon. Finance Minister to bring in further amendment to this Bill so that if any fault is found with any cooperative society, it is very severely punished for that.

I am very happy about one of the provisions of this Bill which talks about reimbursement to Deposit Insurance Corporation by liquidators of transferee banks. It is a very good provision. Para 5(e) of the Statement of Objects and Reasons says:

"make these multi-State cooperative banks as "eligible cooperative bank" so that their deposits can be insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under section 3 of that Act."

It is a good provision. It will ensure that even if a cooperative society is liquidated, the small investor would get his money back.

I will make another appeal to the hon. Finance Minister. He should set up a Depositors' Protection Fund. We can clear this Depositors' Protection Fund from the unclaimed funds.

There are many unclaimed funds because nobody comes forward to claim the funds which are lying with the cooperative banks. This amount is quite substantial. Out of these unclaimed funds, the hon. the Finance Minister can have a Depositors' Protection Fund. Wherever the depositor loses the money, he could be reimbursed from the Fund.

I would like to make two more suggestions. The first one is not very much related to the subject. Shifting slightly, I would just make a suggestion regarding the multi-layer system of interest. Hon. Minister is very keen about just doubling the credit flow to the farmers within the next three years. But he knows it pretty well that when the NABARD gives the money to the State cooperative, it goes to the district cooperative, it goes to the primary cooperative and when it ultimately reaches the farmer, the interest rate sometimes goes up to 22 per cent. From the very beginning, it becomes the NPA. Which farmer will be able to pay back an annual interest rate of about 22 per cent? Even though we say nine per cent, it is hardly nine per cent. I do not say that during your time, but there was a time when it happened to be so. Now it has been reduced. During our time, our Finance Minister declared in the last Lok Sabha that loans at an interest rate of nine per cent would be given to the farmers. The hon. Minister has also agreed to that. They are also providing it. But kindly see to it that nine per cent should not become 11 per cent when it goes to the State cooperative. When it goes to the district cooperative, two per cent administrative cost is added and it becomes 15 per cent. When it goes to the primary cooperative and ultimately when it reaches the farmer, it becomes 17 per cent. It should not be the case. This multi-layer system of spread of interest rate should not be increased phase by phase. This is one of my suggestions which I would like to make to the hon. Finance Minister.

Lastly, some method should be brought out so that the cooperative department should not be an appendage to the State Government. I do not come from a State like Maharashtra or Gujarat where the cooperative movement is very strong. I come from a State like Orissa. In States like Orissa or Bihar or some other States, cooperative society is just an appendage, or where it is just a department of the State Government, it is mostly politicised. Most of the time, the only job of these cooperative societies is to give loans to the people under the political recommendation. The loans are never realised. That is why, cooperative society from the very beginning have become very sick.

I recall that the hon. Minister is a great admirer of economic reforms. He is just following the same line which was followed by NDA. He is just doing the same thing. He is a supporter of globalisation. He is a supporter of everything. I congratulate him because that is the right way which he has been following. He has not gone by the recommendations of the Leftists. I congratulate him for that because that is the only way.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): That is the only satisfaction that he has not gone Left. Take him to the Right.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta, first you should take permission and then you should talk.

SHRI KHARABELA SWAIN : Had he gone Left, he would have brought the misery of West Bengal. From the third position in the industrial situation, they had brought down to the 16th position in a span of 27 years of the Leftists rule in West Bengal. I congratulate him that at least he is not following them. He should not follow what they say, otherwise India will also face the fate of West Bengal.

With these recommendations, and accepting that he will just go by the suggestions I made, I congratulate him once again.

श्री महबूब ज़ाहेदी (कटवा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

इस मुद्दे पर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है। संसद की कृषि संबंधी संयुक्त स्थाई समिति में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। आजादी के बाद से ही हमारा देश सहकारिता से जुड़ा हुआ है। सहकारिता के बारे में एक वैज्ञानिक एस.के. डे ने कहा था, *Cooperative is an institution of decentralization of financial forces*. मेरे से पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे, उनकी बातों में काफी सच्चाई थी कि आज हमारे देश में काफी हद तक सहकारिता खत्म होती जा रही है। आम आदमी पर इसका जो असर होना चाहिए, वह उतना नहीं हो रहा है। कोओपरेटिव के लिए कोई अथोरिटी होनी चाहिए, जो उस पर निगरानी रख सके और गलत काम करने वालों को सजा दे सके। आर.बी.आई. यह काम कर सकता है। हम इस बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। आप कृषि संबंधी संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट को देखें, उसमें सहकारिता के बारे में काफी चर्चा की गई है। हम लोगों ने उस पर काफी ध्यान दिया है। यह जो सुपरवाइजन की बात है, अगर इंटरेंशन ठीक नहीं होगी तो कोओपरेटिव की हालत और खराब हो सकती है। आज कोओपरेटिव में राजनीतिक दखलअंदाजी काफी बढ़ गई है, जैसा कि अभी हमारे साथी भी बता रहे थे। यह एक गलत बात है। मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि आपने जो सुपरसैशन के बारे में कहा है, *you have discussed here very clearly saying that you have given total power*. आपने उनको दिया है, अगर वे कहीं गलत रहे तो कोओपरेटिव की हालत और खराब हो जाएगी। *Anything cooperative will be **Sehkari**. It will be directed by the Government and other forces. The Government is a separate thing and cooperative is a separate thing.* ऐसा महसूस किया जाना चाहिए। कोओपरेटिव की कई कमेटीज बनी हुई हैं, जो उसके काम को देखती हैं। अगर उनको आर्डर मानने वाला संगठन बनाया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। इससे कोओपरेटिव का होल करेक्टर बदल जाएगा। यह बात तो सभी जानते हैं कि सहकारिता में भी भ्रष्टाचार है। अभी हमारे साथी ने उसका उल्लेख भी किया था। इस बिल में सुपरसैशन के ऊपर जो कहा गया है, मैं उसमें कुछ एड करना चाहता हूँ।

Sir, I want to say that the Board may be supervised by the RBI. But in every case, after the supervision, the report containing the ground and other details regarding gross irregularities affecting the basic depositors and public interest must be placed on the Table of the House within seven days. यह बात सदन के पास जरूर आनी चाहिए कि प्रत्येक केस जिसका सुपरविजन आरबीआई करे, उसे सदन में आना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि यह सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए इसको हमें समझ लेना चाहिए। पहले जो बातचीत हुई थी वह एरिया के हिसाब से हुई थी कि एरिया के हिसाब से कोई कोओपरेटिव बन नहीं सकती, क्योंकि हम कम्प्लायंस में पड़ जाएंगे। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। बाहर से भी कोओपरेटिव आ रहे हैं। यह सही है कि उनके आने पर हमें भी कम्प्लायंस में पड़ना पड़ता है, लेकिन एक एरिया में अगर कोओपरेटिव बन जाए तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, उसमें क्या गलती है। जो एक्ट 141 है उसमें बोला गया था कि अगर कोओपरेटिव में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो गलत होगा। कोओपरेटिव में रहते हुए जो लोग थे जो उसमें बड़े-बड़े लोग थे जिन्होंने कोओपरेटिव का काम किया था। उन्होंने कहा था कि *the co-operatives cannot be only about obeying orders*. वह केवल आर्डर मानने का कोई इंस्टीट्यूशन न हो तो डेमोक्रेसी भी चल जाए और इंस्टीट्यूशन भी चल जाए। इसलिए आपको इसकी दिशा के बारे में, लक्ष्य के बारे में सोचना होगा जिससे इसका लक्ष्य बर्बाद न हो जाए। यह बात हम बहुत इत्मीनान के साथ बोल रहे हैं। बंगाल में हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और वहां गांव-गांव में कोओपरेटिव बन रहे हैं। यह बात सबको मालूम है कि कोओपरेटिव बन रहे हैं। *The co-operatives are now one of the financial forces*. वहां उनका फाइनेंशियल फोर्स के हिसाब से विकेंद्रीकरण हो रहा है और वे विकेंद्रीकृत हो रहे हैं। आपको उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। उनके लिए डेमोक्रेसी और फाइनेंशियल एटोनोंमी बहुत जरूरी है। मेरा कहना यही है कि वह बर्बाद न हो जाए।

आखिर में मैं यही दोहराना चाहूंगा कि आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं है कि आरबीआई के सुपरविजन में बोर्ड कुछ करेगा और अगर आपको एतराज है तो कोओपरेटिव बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरा एडिशन इसमें यही होगा कि *The Board may be supervised by the RBI. But in every case, after the supervision, the report containing the ground and other details*

regarding gross irregularities affecting the basic depositors and public interest must be placed on the Table of the House within seven days. यही मेरा इसमें एडिशन है। माननीय वित्त मंत्री जी, मेरा यह एडिशन आप ले लीजिएगा। हम आपके रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं।

15.00 hrs.

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, basically I have a great admiration for the Finance Minister for the speed at which he acts. Having seen the decision of the Supreme Court on Apex Cooperative Bank in Maharashtra, in order to ensure that 30 other multi-State cooperative banks will not be subjected to the inconvenience of stopping operations, in a short span, the Minister has come to the Parliament to get this Bill passed. This is really admirable.

In my opinion, simply amending one or two clauses in the Banking Regulation Act will not bring an end to all the frauds that are taking place in the banking industry. This particular Bill has only a limited purpose of saving 34 banks, regularising the licences given to these banks and continuing their activities which were going on for the last several years.

In this context, I would like to bring to the knowledge of our Finance Minister and the House that still there are a lot of lacunae in the Banking Regulation Act, in the present context, particularly in the running of urban cooperative banks. In Hyderabad, in recent past some of the urban cooperative banks have closed down while others are on the stage of winding up. A few have resulted in the loss of hundreds of crores of rupees to the depositors.

We all know that the bulk of the depositors in Urban Cooperative Banks are the Provident Fund holders, retired persons or low or middle income people. The only reason for which they are putting their money in these cooperative banks is to get two, one or half a per cent interest more. They also believe that nothing will happen to their money in these cooperative banks as the Government is there to secure their interests. Surprisingly, the Prudential Bank has caused hundreds of crores of rupees loss to the small depositors in Hyderabad. I was told that

a circular had been issued by the Reserve Bank of India that each depositor would be given only Rs.20,000 irrespective of the amount he had deposited in the bank. Suppose, a depositor has deposited Rs.6 lakh, he will be given only Rs.20,000. That means, Government is not looking after the interest of the depositor who is a poor man.

In one of the meetings with the Reserve Bank I asked the same thing and the Reserve Bank Governor has said that it is not so and that he will certainly look to the interest of the small depositors. I am happy about that. One of the reasons why I admire the Finance Minister is, yesterday while a Communist Member, Shri Gurudas Dasgupta was finding fault with the Finance Minister on the action taken by the Reserve Bank in the shortest time of one day. Had it not been taken in that short duration there would have been chaos in the minds of the depositors. There were already long queues at the bank premises and the loss would have been much more. Some of them might have died of heart attack or had suffered in many ways. The Reserve Bank and the Finance Ministry came to their rescue immediately and reduced the calamity.

I have gone through the Madhavpura Merchantile Cooperative Bank, which is being run on the same line and the licences of which are also being given on the same principle. It was found that on March 31, 2001, the bank's deposits were Rs.1262 crore while the advances were Rs.1717 crore. Out of Rs.1717 crore, 68 per cent of the advances were given to 21 borrowers who were connected with the share brokers which means the regulations provided in this Act were not sufficient to control all these frauds. So my request to the hon. Minister is that though he has come forward immediately to protect those 34 banks yet it is not the end of it. More important thing is that lakhs and crores of rupees are shown as NPA in the banks. All the figures that are coming out in the newspapers are not the real figures of NPAs. The management of various banks are covering these NPAs in some shape or the other under some technical definition or the other. So, the real NPAs are much more than what is found in their balance sheets or reported in the newspapers. We have to bring very strict regulations for the banking sector without curtailing its freedom. I do not say that the freedom of the employees or the officers in lending money to the needy persons should be curtailed. I would also want the Government to go to the rescue of a man with integrity whose decision might have gone wrong in some case in lending to some borrower. But an officer whose earlier record was not good and who has lent money to some borrower, he must be taken to task immediately.

But the present provisions in the Banking Regulation Act does not provide for immediate action to be taken against erring official or the erring borrower. There are long procedures to be followed which take long years before any action could be taken against erring officers. It encourages many others to do the frauds. Honestly, if one borrower were to be boycotted and action taken against him is publicised extensively throughout the country through newspapers saying that this gentleman has taken so much money and that he has committed a fraud in a particular bank, he would feel insulted. In the recent past, I have seen in some cases in Hyderabad wherein a Chairman or some Director of a bank had committed a fraud. But when he was arrested for the crime committed by him, after a couple of days, he died suddenly. I do not have sympathy for that. So, if deterrent action were to be taken against all the borrowers and officers immediately without any loss of time in such instances, nobody else would dare to commit a fraud in future. But if everybody were to think that he can go scot free and that a decision will not come for years together and also in the meantime he can change the records, more number of people will commit frauds.

Sir, clause 34B of the Banking Regulation Act talks about confidentiality. I do not say that confidentiality should not be there in banking. But it should be restricted to a very limited area. For example, a borrower takes a loan stating that the property in the godowns is worth crores of rupees. He takes a loan worth 80 per cent of that property and this information is not known to many persons and it is known to only the borrower and the concerned officer. But subsequently it is found out that the property is worth only Rs.10 crore or only Rs.1 crore, what is the protection if that company were to burst later? If this were to be known to some people, then at least there will be some information to the bank that so much worth property was not there in the godown.

That means, it will be known to the bankers that they could not sanction a loan to a borrower exceeding a certain amount. That would help in protecting the interest of the consumers. But someone will say that if somebody were to ask as to what was the amount of the loan taken and for what purpose, then the banks would say that they could not part with that information. Even the amounts deposited in their individual accounts could not be revealed to anybody. This secrecy aspect is one reason why extensive frauds are being committed in the banking industry in this country. I would like the hon. Finance Minister to give a thought to this aspect. He is more learned, more knowledgeable and more experienced than us by virtue of his being in the Finance Ministry for such a long time, yet I would like him to give a serious thought to this aspect.

Sir, in regard to the Societies, I would like to submit that the hon. Finance Minister has announced providing *kisan* cards to the farmers. This is a good thing. I admire it. Now, earlier if a farmer had taken a loan for an amount, say, Rs. 10,000/- he must have had to pay the entire amount with interest accrued on it at one time. If he had managed Rs. 5,000/- he could not pay that amount to the bank and thereby reduce the interest component on his loan amount. But this facility was provided to the commercial dealers like the traders and industrialists. They could take a loan of, say, rupees one crore and then could pay any time a sum of Rs. ten crore or five crore and thereby

reducing the interest component on their loan amounts. But now it is a good thing that this facility has been offered to the farmers as well. But then if these Credit Co-operative Societies were not allowed to take deposits – because of this Act – then they would not be able to keep more money with them than their loan amounts and thereby lose interest. The definition goes differently for the Credit Co-operative Societies. Though this Bill deals only with the Multi-State Co-operative Societies, yet I would like the hon. Finance Minister to give a thought to this aspect as well.

Sir, the hon. Finance Minister in his Budget speech as well as later said that in those areas where there was a crop failure on account of natural calamity for one or two years, the Finance Ministry would extend loan to those farmers once again taking into account the value of their assets irrespective of whether they were paid loans before or not. He also said that if there were to be one instance where the commercial banks have refused to give loan on the plea that a farmer has not repaid his earlier loan, that should be informed to him by us. I wish to inform the hon. Minister that in my constituency and, possibly in the constituencies of many other hon. Members, there are a lot of instances where the commercial banks are not coming forward to give loan even in accordance with the laid down procedures of the Finance Ministry. Some of the Branch Managers think that they are all in all. They say that they would give loan only if one comes through 'x' or 'y'. It is because they have vested interest and it is not based on the laid down procedures and concessions provided by the Finance Ministry and the banking industry.

I would like the hon. Finance Minister to issue strict instructions to all the bankers saying that in cases where there had been genuinely loss of crops to the farmers in the last two years, they should not be made to come to the bank many a times to get their loans. If there is a delay in sanctioning a loan, particularly in cases of crop losses, it would mean losing out one season. If the loan were to come a month later, or in some cases even 10 days later, then the crop for the entire season could be lost. There may be untimely rains or even the sowing season may be over. So, time is very important and the bankers must be asked to keep a time limit. The bankers must be asked to mention the reasons for which they are denying a loan to the farmers. It is their duty to sanction a loan immediately after taking the required documents. In some cases, the farmers are made to go round a number of times on the plea that they do not possess the required documents. When the documents are there with the same bank when a farmer took loan on an earlier occasion, he is once again asked to bring other documents. So, my request to the hon. Minister is like this. While appreciating the speed at which he has brought this Bill, I want him to bring a comprehensive legislation of the Banking Regulations Act taking into account of not only the present situation but also of the faults that are occurring like increasing NPAs and things like that. The provision that is being made by the bankers is that it is out of the profit that is accruing and not out of the real earnings. When I went through the Act of 1949, I found that amendments are sometimes printed and sometimes some papers are attached to it. This gives an opportunity for many officers to play with it. Taking into account of all those things, I want that a new legislation should be brought without the necessity of going into the amendments brought earlier. I appreciate and I admire the hon. Minister for bringing the Bill at the right time. I support this Bill and I thank the hon. Finance Minister for this.

15.16 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, यदि आपका काम हम यहीं से करें, तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री जी जगे, लेकिन देर से जगे। इन्हें पहले जागना चाहिए था क्योंकि सहकारिता को आन्दोलन के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया था और एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही पूरे देश की खेती सहकारी ढंग से कराने का प्रस्ताव पास किया था।

महोदय, सहकारिता आन्दोलन पिछले 50 वर्षों में किसान के बहुत करीब पहुंच गया और किसानों की जिदगी और उसके भविय के साथ सहकारी आन्दोलन का रिश्ता हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से जिनके हाथ में इस आन्दोलन की बागडोर दी गई, उन्होंने इसको लूट का बड़ा भारी जरिया बना लिया। जैसे बीच में बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं खोलकर और इनवैस्टर्स का अरबों रुपया लूटकर बहुत सारी वित्तीय कंपनियां भाग गई, उसी तरह से कुछ सहकारी बैंक, खासकर अर्बन सहकारी बैंकों का अनुभव बहुत ही खराब रहा। लखनऊ में जब स्वयं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, उनके अपने लोक सभा क्षेत्र में लखनऊ नगर की आम जनता का 27 करोड़ रुपया लूटकर वहां का अर्बन कोआपरेटिव बैंक भाग गया और प्रधान मंत्री उस बैंक के खिलाफ न कोई कार्रवाई कर सके और न जो वहां के छोटे-छोटे पूंजी जमा करने वाले साधारण कारोबारी थे, उनके पैसों को वापस दिला सके।

महोदय, यह सही है कि रिजर्व बैंक ही सहकारी बैंकों को लाइसेंस देता है जिसके आधार पर सहकारी बैंक अपनी शाखाएं प्रान्त के सभी जिलों में खोल देते हैं, लेकिन शाखाएं खोलने के बाद जो लूट का सिलसिला चलता है, उस पर किसी तरह की कोई निगरानी नहीं रहती, जिसका नुकसान अन्ततः किसान को भुगतना पड़ता है। किसान को खाद, बीज, कीटनाशक और उसके उपभोग की जो वस्तुएं हैं, वे सहकारी बैंकों से मिला करती थीं, लेकिन अधिकांश कोआपरेटिव बैंक, जो जमा पूंजी थी, उसी का भोजन कर गए। बहुत सारे जिलों में किसानों को जो खाद और बीज इन सहकारी बैंकों से मिलना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिला। बैंकों ने खाद, बीज और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए जो पैसा कंपनियों को देना चाहिए था वह नहीं दिया और कंपनियों ने खाद, बीज और कीटनाशी दवाएं सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं कराई और इस प्रकार इन बैंकों से जो खाद, बीज और कीटनाशी किसानों को मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिले और किसान तकलीफ में आ गए। ऐसा विशेषकर उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में हुआ जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। इसलिए सहकारी बैंकों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए, इस बात का समर्थन हमारे जैसे लोग करेंगे।

महोदय, चूंकि यह आन्दोलन है, जनता से जुड़ा हुआ है और नीचे के स्तर से उठा हुआ आन्दोलन है, इसके पीछे भावना यह थी कि ग्रामीण स्तर पर साधारण लोगों को स्थानीय महाजन से जो चार आने महीने के सूद पर कर्ज लेना पड़ता था और इस प्रकार जो बड़े-बड़े साहूकार होते थे, वे किसानों की पूंजी का अपहरण कर लेते थे, उससे उन्हें मुक्ति मिले। उनसे बचाने के लिए ही सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। किसान और सरकार के बीच में सहकारी आन्दोलन एक पुल के रूप में माना गया और सहकारी बैंकों की शाखाएं गांव स्तर तक खोल दी गईं। इसलिए हम इस बात के समर्थक हैं कि इनका जो वित्तीय फाइनेंशियल ट्रान्जेक्शन है, उसके

उम्र कड़ी निगरानी रहनी चाहिए, लेकिन इसका जो प्रबंध तंत्र है, उसके उम्र जनता का जो स्वायत्तता का सिद्धांत है उसकी किसी भी कीमत पर अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके संबंध में हम एक-दो सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं। इसके संबंध में एक संपूर्ण विधेयक सदन के सामने लाना चाहिए कि सहकारी बैंकों का स्वरूप क्या हो, उनके अंदर जो आडिट की प्रक्रिया है, उसका इंटरनल अरेंजमेंट है। इसलिए उनकी जो फाइनेंशियल बंगलिंग होती है, उसके बारे में उनका इंटरनल ऑडिट सिस्टम उसकी ठीक से जानकारी न तो शासन को देता है और न ही रिजर्व बैंक को देता है। चाहे अरबन कोआपरेटिव बैंक हो या साधारण सहकारी बैंक हों, ये सभी सीएजी की आडिट की परिधि में आने चाहिए और उसकी रिपोर्ट उसकी समीक्षा करने के बाद प्रदेश की विधानसभाओं में और भारत की संसद के सामने भी पेश की जानी चाहिए, यह आग्रह मैं उस आडिट के संबंध में करना चाहता हूँ।

यह सही है कि आपको हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिले और यह जो विधेयक आया है, यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आया है। इसमें सरकार केवल उनके आदेशों का अनुपालन कर रही है, इस सीमा तक इसका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन यदि यहां से सुदूर पूर्वोत्तर राज्य का, किसी गांव स्तर का सहकारी बैंक हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिला स्तर का सहकारी बैंक हो, वहां किसी तरह की वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हों तो वहां की पूरी-पूरी जानकारी बहुत दूर सीमा पर रहने के नाते रिजर्व बैंक को होना, उस रूप में स्वाभाविक नहीं है, जैसी इस बिल में उसकी अपेक्षा की गई है। इसलिए जब आप वहां किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रशासक नियुक्त करेंगे तो कौन सा व्यक्ति होगा। उसकी परीक्षा आप कैसे कर सकेंगे? वह आप द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति उस सुदूर अंचल में जाएगा और वहां की परिस्थितियों को ठीक से समझेगा। उसके जो गड़बड़ वाले हिस्से हैं, उन्हें दुरुस्त करने में उसकी जो भूमिका है, वह सही ढंग से हो पाएगी। मुझे इस पर बहुत सारी आशंकाएं हैं। अगर आप यहां से किसी प्रशासक को देवरिया जिले में नियुक्त कर दें और वहां का संचालन वह ठीक कर दें। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि संचालक नियुक्त करने की प्रक्रिया रहनी चाहिए, लेकिन इसका अधिकार राज्य की सरकार पर हम छोड़ दें, उसके बारे में रिजर्व बैंक की संस्तुति हो सकती है। उसकी गड़बड़ियों के बारे में तुरंत राज्य सरकार कार्यवाही करे। इसके बारे में निर्देश हो सकते हैं, लेकिन प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने बहुत सारे जिला स्तर के सहकारी बैंकों में गड़बड़ी को देखते हुए वहां प्रशासक नियुक्त किए, लेकिन उनके खिलाफ हाई-कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश आ गया और राज्य सरकार अपने प्रशासक नहीं नियुक्त कर पाई। हम इन थोड़े से सुझावों के साथ माननीय मंत्री जी ने सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार और लूट को रोकने के जो प्रयास किए, उसकी मैं तारीफ करता हूँ और इस विधेयक का भी मैं इस आग्रह और उम्मीद के साथ समर्थन करता हूँ कि सहकारी बैंकों के प्रति एक बृहद विधेयक सभी दलों की राय के बाद सदन में पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। न्यायालय के निर्देश पर यह कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। यह बात सही है कि मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी के संदर्भ में यह विषय है, परन्तु जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हों या अरबन कोआपरेटिव बैंक हों, इन सब के बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार विचार करे। मल्टी स्टेट कोआपरेटिव की कैंपिटल बहुत ज्यादा है, इनकी काम करने की क्षमता ज्यादा है। कई राज्यों में ये काम कर रहे हैं, उनके अंदर वित्तीय अनियमितता आपके प्रकाश में आई और उसके हिसाब से निर्णय लिया गया, परन्तु सामान्यतया ये बैंक, अरबन कोआपरेटिव बैंक एक नगर या जिले तक सीमित रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक एक जिले का होता है, ज्यूल कंट्रोल के कारण इसमें बहुत समस्या है। मैं स्वयं भी एक बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उस समस्या को समझता हूँ। पिछले एक साल में जो समस्या सामने आ रही है, मैं यहां श्री मोहन सिंह जी राय से विपरीत राय व्यक्त करना चाहूंगा। राज्य सरकारों के दबाव के कारण सहकारी संस्थाएं कभी सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं और इसके कारण समस्या रहती है और यह दबाव रहता है कि बैंक जिस हिसाब से काम करें तो उसमें प्रदेश की राज्य सरकार के अनुसार ही कार्य करें। इस कारण जब समस्या रहती है तो उससे काम करने में असुविधा भी रहती है। मेरा आपसे आग्रह है कि एक-डेढ़ वर्षों में जो यह समस्या सामने आई है और खाली मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी बैंकों के मामले में नहीं, बल्कि जो अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स हर प्रदेश के अन्दर हैं, मैं यह मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इनका नम्बर कम है, पर उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कम कैंपिटल के साथ काम कर रहे हों, पर सही ढंग से काम कर रहे हैं और इसके बारे में जल्दी निर्णय लिया जाये कि इनका संचालन कैसे होगा।

एक बात मैं में जरूर सहमत हूँ, जैसा अभी पहले भी बताया गया कि इनके संचालन की प्रक्रिया क्या होगी। मैंने स्वयं रिजर्व बैंक में बात की तो मुझे कहा गया कि आगे के फ़ैसले तब होंगे, जब यह फ़ैसला हो जायेगा कि इन बैंकों का संचालन किस प्रकार से किया जायेगा। यह मेरे संज्ञान में है कि बैंक के वित्तीय लेखों की जांच अगर आर.बी.आई. के आफिसर्स करते हैं तो प्रदेश के कोआपरेटिव विभाग के आफिसर्स भी करते हैं और दोनों की जांच करने के बाद भी अगर हमारी समस्या बनी रहे तो उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में जल्दी फ़ैसला लिया जाये और यह खाली मल्टी स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स के बारे में फ़ैसला न लेकर जिले के जो अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स हैं, जिनके उम्र पूरा कंट्रोल राज्य सरकार का है, उसके हिसाब से देखकर, मिलकर एक फ़ैसला करना चाहिए कि इसे कैसे किया जाये। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स को अगर काम करने की छूट दी जाये, काम करने की सही ढंग से दिशा ली जाये, यह मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि पुराने समय में जो स्कैम हुए थे, उनमें अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स या कोआपरेटिव बैंक्स का नम्बर कम था। अगर एक या दो बैंकों में ऐसी समस्या सामने आ जाये तो बैंक्स को इसमें जोड़ लिया जाये या कोआपरेटिव बैंक्स को इसमें जोड़ लिया जाये तो मैं इस बात को सही नहीं मानता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अपने प्रदेश की बात जानता हूँ कि कोई भी सरकारी डिपॉजिट इन बैंकों में जमा नहीं होता। सरकार की अगर यह नीति है कि इस सहकारिता के क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाया जाये, जो व्यवस्था आजादी के बाद बनाई गई, उसमें अगर आज अर्बन बैंक्स में कोई गवर्नमेंट का डिपॉजिट न कर सके तो यह एक संदेह पैदा करता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर मुझे जानकारी है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपॉजिट इन अर्बन बैंक्स में जमा नहीं होता। उसके बाद भी कुछ अपवाद लखनऊ का अपवाद छोड़ दीजिए, उस बैंक में तो मैं नहीं कह सकता। कई स्थानों पर बैंक्स बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से एक अच्छा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मल्टी स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स, जहां पर बड़े खाते हैं, बड़ा संचालन है, बड़ी वित्तीय व्यवस्था है, उनको ध्यान में न रखें, बल्कि सारे बैंकों को ध्यान में रखकर एक कॉम्प्रीहेंसिव पालिसी बनाकर जल्दी इसमें फ़ैसला लें, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम को आजादी के बाद जो तय किया था कि सहकारिता के क्षेत्र में सब को आगे बढ़ावा दिया जायेगा, यह एक ऐसा स्वरूप है, क्योंकि मैं स्वयं इससे जुड़ा हूँ, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि अगर हम चाहें तो इसे अच्छे ढंग से और आगे बढ़ा सकते हैं, पर इसका संचालन ज्यूल न होकर सही ढंग से, कायदे से होना चाहिए। इसे हम एक सही प्रक्रिया और सही स्वरूप दें तो मेरा यह मानना है कि ये बैंक्स बहुत अच्छे ढंग से काम भी करेंगे और इनसे चूंकि आम आदमी जुड़ा रहता है, इसलिए उस जिले के अन्दर, उस शहर के अन्दर कोई बहुत ज्यादा गलत अनियमितताएं या वित्तीय अनियमितताएं सामने नहीं आयांगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप जल्दी इस बारे में फ़ैसला लेकर एक कॉम्प्रीहेंसिव पालिसी के साथ पूरी यूनीफ़ॉर्म नीति बन जाये कि हर सूबे के अन्दर, हर क्षेत्र के अन्दर किस प्रकार से बैंक काम करेंगे, इसके अनुसार आवश्यक निर्देश देने का कट करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, मंत्री जी आज यह बिल लेकर आये हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पूरे देश में सहकारिता आन्दोलन आज से लगभग 50 वर्ष पहले शुरू हुआ था तो देश की जनता में एक आशा जगी थी कि सहकारिता के माध्यम से आम आदमी को कुछ लाभ मिलेगा।

लेकिन जिस तरीके से सहकारिता बैंक और खासकर इसमें अर्बन कोआपरेटिव बैंक का मामला, महाराष्ट्र और गोवा बैंक का मामला था, उसमें जो अनियमितताएं या गड़बड़ घोटाले हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, उसको लेकर वित्त मंत्री जी यह बिल लेकर आये हैं।

मैं एक-दो सुझाव अपनी तरफ से वित्त मंत्री जी को देना चाहूंगा क्योंकि कोआपरेटिव बैंक, श्री मनमोहन सिंह जी एक बार बड़े काम की बात कह रहे थे। अर्बन कोआपरेटिव बैंक के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट जिला सहकारी बैंक का सीधा किसान से, आम गरीब आदमी से रिश्ता है। आरबीआई का जो निर्णय है तथा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम किसानों को कर्ज ज्यादा देंगे, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड बनायेंगे, गोल्डन कार्ड बनायेंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से इस संबंध में एक निवेदन है कि घोटालों की जांच हो, उनका ऑडिट हो लेकिन उस ऑडिट में एक चीज जरूर देखी जाये कि किस बैंक ने कितना पैसा किसान और मजदूर के विकास के लिए दिया है और कितना पैसा बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का मामला आज सारे देश में है। किसान आर्थिक तौर से दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि हम दो-तीन वर्षों में किसानों का लोन दोगुना कर देंगे।

मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ। वहाँ किसानों की हालत यह है कि गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए जो सहकारी बैंक खासकर किसानों के लिए बना है, वहाँ कोई योजना नहीं है। किसानों को कोई गोल्डन कार्ड नहीं दिये जा रहे। अगर कोई बैंक कार्ड देती भी है तो मैं सदन के सामने बताना चाहूंगा कि उसके लिए चार लाख रुपये घूस ली जाती है, रिश्वत ली जाती है। गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए बैंक अधिकारियों के दरवाजे पर किसानों को नाक रगड़नी पड़ती है और उनको बार-बार कहा जाता है कि यह रिकार्ड लेकर आओ, वह रिकार्ड लेकर आओ। तीन वर्षों के बाद फिर उसके रिन्युअल का सिस्टम होता है। उसमें बड़ा-भारी भ्रष्टाचार पनपता है।

मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो सहकारिता बैंक है, उसमें कम से कम किसानों के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाये कि बार-बार उन्हें माल विभाग यानी रेवन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास न जाना पड़े। एक किसान को ट्रैक्टर लेना है तो हमारे यहाँ कोआपरेटिव बैंक किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्जा देता है। इसके लिए छः एकड़ से आठ एकड़ तक जमीन गिरवी रखी जाती है। एक ट्रैक्टर की कीमत चार लाख रुपये है और छः एकड़ जमीन की कीमत 50 लाख रुपये है। इस तरह किसान के साथ बड़ा भेदभाव होता है। अगर किसी आदमी ने मारुति कार लेनी है या कोई बड़ी गाड़ी लेनी है तो उसकी कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाती। यह कोआपरेटिव बैंक किसानों के लिए बनाये गये हैं ताकि किसानों को इससे ज्यादा राहत मिले। किसान देहात शहर मिलकर इसका संचालन करने का काम करेंगे लेकिन प्रदेश सरकारों ने कोआपरेटिव बैंक चलाने में मनमानी की है। मैं हरियाणा प्रदेश की बात वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ पीएलडी कोआपरेटिव बैंक है यानी प्राइमरी भूमि विकास बैंक है जिसमें उन लोगों को लोन दिये जाते हैं जो सरकार से संबंध रखते हैं। जो गरीब आदमी हैं, जो आम किसान हैं, जो उनकी सोसायटीज हैं, उनको हाउस लोन नहीं मिलता। गरीब आदमी को घर के लिए ऋण लेना सबसे कठिन काम है।

मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गड़बड़ियाँ हैं, जो असमानताएँ हैं, उनको दूर करने के लिए ऑडिट की चर्चा की है, यह ठीक है कि ऑडिट होना चाहिए लेकिन उस पर नियंत्रण केवल प्रदेश सरकारों का नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड का चुनाव होता है, उसके बकायदा निदेशक चुने जाते हैं, उसके बाद उसका चेयरमैन होता है, उसके ऊपर एम.डी. होता है। मेरा कहना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी उन्हीं के हिसाब से चुना जाना चाहिए। यदि आरबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करेगा, कोआपरेटिव बैंक में प्रदेश सरकारें, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में हैं, वह मैनेजिंग डायरेक्टर रखती है, तो वह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में डिप्टी रजिस्ट्रार स्तर का होता है लेकिन मुख्यमंत्री इसमें मनमानी करते हैं। मुख्यमंत्री असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कई बार मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं इसलिए छोटे दर्जे के अधिकारी मुख्यमंत्री की संरक्षण में इतने उच्च पदों पर आ जाते हैं तो उनमें भ्रष्टाचार पनपता है। मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी गाइडलाइन प्रदेश सरकारों को भी दी जाए ताकि प्रदेश सरकारें मनमानी न करें और एक स्तर के लोगों को ही उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए। जो लोग अलग-अलग सोसाइटीज़ से चुनकर आते हैं, उनके माध्यम से बैंकों का संचालन हो। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि कोआपरेटिव बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए और बाकायदा ऑडिट में देखा जाए कि किस सहकारी बैंक ने किसानों को कितना कर्ज दिया है और उसकी वसूली का क्या तरीका है तथा किस अर्बन कोआपरेटिव बैंक ने कितना कर्ज दिया है और उसकी वसूली का क्या तरीका है। इससे आपके सामने यह बात आएगी कि जो अधिकारी सरकारी तंत्र के माध्यम से मनमानी करते हैं और आम उपभोक्ता को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सांसदों को जवाबदेह होना पड़ता है क्योंकि आज आम किसान और मजदूर कहता है कि आप सांसद हैं, आप सरकार में हैं। सरकार कहती है कि हमने किसानों को बहुत ज्यादा ऋण दे दिया और सहकारी शिकंजे से मुक्ति दिलवा दी। किसान को एक ट्रैक्टर लेने के लिए अपनी 50 लाख रुपये की जमीन गिरवी रखकर लोन लेना पड़ता है। एक साहूकार को मोटर लेने के लिए कुछ रहन नहीं करना पड़ता। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इस अनियमितता को खत्म किया जाए। किसान से मार्जिनल मनी लेकर, हाईपोथिकेटेड करके, ट्रैक्टर दिए जाएँ, उसकी जमीन गिरवी न रखी जाए।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना उन बैंकों में नहीं है जबकि आम आदमी गांवों में बसता है। जिस बैंक से इस तरह की योजना गांवों में लागू न हो, वह सहकारिता आन्दोलन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को जो लोन दिया जाता है, वह भी इसके अंदर शामिल किया जाए ताकि साधारण घर में पैदा हुआ बच्चा, जो सरकारी नौकरी हासिल करने से वंचित रह जाता है, उसे अपना व्यवसाय करने के लिए गांव-गांव में इस तरह का ऋण मिले और वह भी उद्योगों से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े।

आज हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता बेरोजगार है। बेरोजगारी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा तरीका सहकारी बैंकों के माध्यम से आम किसान, मजदूर, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को ऋण मुहैया कराना है, लेकिन यह कार्य तभी सम्पन्न होगा जब अधिकारियों की मनमानी पर सख्त से सख्त रोक लगाई जाए। किस बैंक ने कितना कर्ज दिया, कितने गोल्डन कार्ड बनाए, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कितना कर्ज दिया और उसकी वसूली का तरीका क्या है, यह सब देखना होगा। एक कारोबारी आदमी कोआपरेटिव बैंक से जो लोन लेता है, उसकी वसूली का तरीका है कि वे सिर्फ जाएंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे जबकि किसान जो ट्रैक्टर के लिए तीन लाख रुपये लोन लेता है, उसकी आठ एकड़ जमीन बैंक नीलाम कर देते हैं। इस तरह की अनियमितता को खत्म करना चाहिए।

वित्त मंत्री जी, आप जो विधेयक लाए हैं, इसमें संशोधन करके आगे बढ़ाएं क्योंकि आपके भाषण के बाद पूरे देश के किसानों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि जो लोग मनी लेंडिंग का काम करते हैं, उनसे जो किसान कर्ज लेते थे, बैंक का कर्ज उससे सस्ता है। इसलिए किसान पिछले 5-6 सालों से आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। किसान को उसकी उपज के पूरे दाम न मिलने की वजह से उसकी माली हालत कमजोर होती जा रही है। किसान को बचाने का एक ही तरीका है कि उसे सस्ते ब्याज पर ऋण दिया जाए और उसकी वसूली का तरीका सरल हो।

मैं वित्त मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा। (व्यवधान) हमें बहुत कम बोलने का मौका मिलता है। हम देहात से आए हैं और देहाती लोग चाहते हैं कि हमारी बात लोक सभा में उठाई जाए।

पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें बैंकों के सीएमडीज़ जाते हैं।

जब उनसे पूछते हैं कि आरआरबी के तहत आपके जो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनकी योजनाएं, कोआपरेटिव बैंक की योजनाएं और राष्ट्रीयकृत बैंक की जो योजनाएं हैं, इन तीनों में अंतर है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो अलग-अलग सिस्टम से बैंकों में जो अधिकार दिये हैं, इनमें भी समानता लाई जाए क्योंकि जब आरआरबी बैंक में जाते हैं, कोआपरेटिव बैंक में जाते हैं, वे कहते हैं कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना हमारे अधीन नहीं है। हम आपको कर्जा नहीं देंगे। इससे गांव के जो बेरोजगार भाई हैं, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यह असमानता, जो बड़े और छोटे की दूरी है, जिसको दूर करने के लिए 50-52 वर्षों से सभी लगे हुए हैं, वह कार्य तभी सम्पन्न होगा जब आप इन अनियमितताओं को दूर करेंगे। एक बात ठीक कही है कि किसान जो कोआपरेटिव बैंक से लोन लेता है और शहरों में जो शहरी सहकारिता बैंक हैं, उनमें एक साहूकार अपना अनाज रखकर 80 फीसदी लोन ले लेता है। उसको अर्बन डेवलपमेंट बैंक से 80 प्रतिशत लोन मिलता है और किसान को जो मिलता है, उसका कोई नहीं है, जो अपनी करोड़ों-करोड़ों रुपयों की जमीन गिरवी रखकर उसको जो लोन दिया जाता है, इस अंतर को दूर किया जाए।

अंत में, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो असमानता है, जो सहकारिता आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें चुनाव की प्रक्रिया को सरल किया जाए। जो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की बात इस बिल में आई है, उसको रखने के लिए एक स्तर पर ही अधिकारियों को रखा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि किसी में डिप्टी रजिस्ट्रार स्तर का रख देते हैं और किसी में असिस्टेंट स्तर का रख देते हैं। इसमें जो कम्प्लीशन है, वह प्रदेश के मुख्य मंत्री के माध्यम से होता है, इसको दूर किया जाए। मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि यह बिल बहुत अच्छा आया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ।

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Mr. Chairman, Sir, I give my general support to this Bill. The Statement of Explanation has given the reasons for bringing such an Ordinance.

I appeal to the Finance Minister that there is a necessity for bringing a more comprehensive Bill on the urban co-operative banks. The purpose of this Bill is limited. I understand that the Deposit Insurance and Credit Guarantee should be extended to the multi-State co-operative banks, which have lost that guarantee because of the judgment of the Mumbai High Court.

Sir, there are several other issues regarding the co-operative movement and co-operative banks. Co-operative societies and co-operative banks are totally different. For quite some time, particularly under the previous Government's regime, there was an attack on the co-operative movement to destroy the spirit of the co-operative movement itself. The type of Bills that were passed were trying to make them joint stock companies. There is a necessity for encouraging the co-operative societies on the one side but at the same time more regulations should be there from the Government side particularly for the urban co-operative banks, etc.

There are several co-operative societies in the country. I believe that several millions of people in this country are the members of the co-operative societies, and this is one country where co-operative movement is very big. In the recent period, under the name of the regulation of the co-operative movement, in the co-operative societies, where the Government does not provide a single pie, does not give any encouragement, the State Governments are trying to interfere in the internal affairs and also trying to abolish the managements of the co-operative societies. They have no business to interfere in such societies. If the Government has got a share in it and if they have paid some money, to keep up the interest of the money that is paid from the Government, definitely there is a possibility of their intervention.

When the Government has no role to play, why should they intervene? They do not intervene when there is a necessity. There is a big growth of urban co-operative banks in the country in the last few years. I tell you that there are more than 1800 urban co-operative banks throughout the country. More than 179 such co-operative banks are under liquidation in the last few years. Most of the depositors in these co-operative banks are small people who are retired from Government employment and all their life savings are put here because there is two to three per cent extra interest than the nationalised banks or the private banks. The Ministry of Finance and the Reserve Bank of India allowed them to give extra per cent of interest. That is good. The Reserve Bank of India has given the licences to them.

The State Co-operative Department is expected to look after the day-to-day activities of these co-operative banks whereas the Reserve Bank of India is the overall in-charge of these banks. But in the last few years, as my hon. colleague, Shri Sambasiva Rao had explained, there is a collapse of several co-operative banks in Hyderabad and in Andhra Pradesh. I believe 25-30 of such urban co-operative banks were brought under liquidation, or in the process of the liquidation. They got them closed. Tens of thousands of depositors are in distress.

When Madhavpura Mercantile Urban Co-operative Bank in Gujarat was rescued by the then Government, naturally people expected some such step would be taken to rescue the depositors of these co-operative urban banks also. There was a big demand when such a bank got collapsed in Lucknow in Uttar Pradesh also. But unfortunately, the Government has not taken any step regarding this. I appealed to the hon. Finance Minister in his chamber. He explained that the Global Trust Bank (GTB) is a scheduled bank. Hence, they could make that bank to be taken over by Oriental Bank of Commerce. It is good. But generally, people believe that the depositors and the customers in the Global Trust Bank are very rich people and their interests were defended immediately within one week. But

what is happening to these poor depositors whose entire life savings are put into the urban co-operative banks? Most of these urban co-operative banks are behaving like giant stock companies or family companies. Though they are co-operative banks, in the last few years, fraudulent activities are on the increase in these urban co-operative banks. Unfortunately, the middle-class and the lower middle-class people have become the victims of these co-operative banks. Now definitely there is a necessity to regulate this type of co-operative banks and some security should be provided.

Now comes the question of deposit insurance scheme. I am requesting the Finance Minister to go through the type of premia that are being collected. The bankers say that the premium is collected for the entire deposits in the bank, but the insurance is given only up to Rs.1 lakh. The previous Finance Minister, I believe, had announced that the liability would be increased up to Rs.2 lakh, but that has not been increased. It has not come into effect, but the

premium in the meantime has been increased. When the premium is collected for the entire amount and it is increased, why do you not increase the insurance a little more?

Why should the insurance on deposit amounts not be increased to Rs. 5 lakh? When there is more liability on the government, definitely, there would be more proper checks and counter-checks on the activities of the urban co-operative banks. Otherwise, the small, poor and middle-class people would be very badly affected.

As I was saying about the urban co-operative banks in Hyderabad and other places, in recent times, the white-collar offences are on the increase. Several chit fund companies and other finance companies are cheating people to a very large extent. Overnight, they remove the sign board and disappear. There was a Krishi Co-operative Bank in Hyderabad which collected very large amounts of deposits. Even the *mafia* gangs could be arrested somewhere in the Gulf countries but the Chairman and Managing Director of the Krishi Urban Bank disappeared and for the last five years the police are unable to catch him anywhere in the world. We are surprised!

The Charminar Bank and the Vasavi Co-operative Bank, which are given the status of a scheduled bank, are also under the process of liquidation. If this continues, people would lose confidence in the urban co-operative banks. This type of white-collar offences should be viewed more seriously. If a thief is caught, he would be punished very severely with one year to three years imprisonment but if somebody cheats people to the tune of hundreds of crores of rupees he or she just gets a bail and goes away. They are doing all sorts of business outside.

In the name of borrowing, they take money, they liquidate the company, go and open another company, and take loan from other banks. There is no possibility of arresting them. As my hon. colleague was saying, in the name of confidentiality of customers, unfortunately, the names of this type of people who refuse to pay even though they have got enough money are not being announced. When the All India Bank Employees Association demanded it, the Reserve Bank and other banks refused to accede to the demand. Ultimately, when they published the names of people who for the last several years have been in the list of NPAs to the tune of Rs. 1,50,000 crore including interest, these people threatened that they would be prosecuted for publishing these names. I believe the time has come when the Government itself should look into this issue and this confidentiality should be limited to the extent of only the customers' interests. When they cheat the bank, they cheat the nation. People have a right to know who are the people who cheat and their names should be published in the Press. Their names should be known to the entire country. They should be barred from taking any loan from any public, or private bank or any other financial institution. Very severe punishment should be given to those who indulge in white-collar offences. There cannot be two different laws for small thieves and for these big white-collar offenders.

Along with this, I have a request to you on other banking activities also. I appeal to the hon. Minister of Finance that insurance should be on total deposits or at least an insurance cover up to Rs. 5 lakh should be considered. Very severe punishment should be given to people who indulge in fraudulent activities causing losses to banks and other financial institutions. The properties of the directors, the properties of these borrowers who refuse to pay should be confiscated. The law should include all these things and the co-operative banks should be functioning like real co-operative banks.

While congratulating the way the hon. Minister of Finance has acted on the question of the Global Trust Bank, I would like to tell him that there is a feeling among the common people in this country that when such big banks are incurring huge losses the Government immediately comes to their rescue. The feeling is that losses are nationalised and profits are privatised in this country and this is the policy of the Government. This should not be there. The public sector banks should be defended and expanded. Privatisation should be limited to some extent only and the necessary comprehensive law should be brought to the Urban cooperative Banks.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : सभापति महोदय, काफी कुछ इस विषय में कहा जा चुका है इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन दो-तीन बातें जरूर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा।

सहकारी बैंकों से सीधा संबंध देश के आम लोगों, किसानों और गरीब लोगों का है। ये लोग सहकारी बैंकों से लाभान्वित होते हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर सहकारी बैंकों का निर्माण हुआ था, पूरे बैंक की व्यवस्था उससे भटक चुकी है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की थी, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बैंकों की व्यवस्था में रेगुलेशन के लिए एक व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। उस आधार पर हम लोग सरकार से बिल की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन सरकार ने बहुत लिमिटेड बिन्दु पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह अध्यादेश जारी कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एक साल पहले 29.10.2003 को आया। अगर एक साल बाद बहुत लिमिटेड बिन्दु पर इस अध्यादेश को जारी करना था तो सरकार कुछ दिन और इंतजार करके इसमें व्यापक सुधार के साथ एक बिल ला सकती थी। आज की जो व्यवस्था है, उसमें एक तरफ सहकारी बैंकों का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से आप भटक गए हैं जबकि दूसरी तरफ अध्यादेश में इस बात की व्यवस्था है कि स्माल डिपॉजिटर्स के लिए बीमा की व्यवस्था है लेकिन उसके साथ-साथ सहकारी बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। सहकारी बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ने का एक कारण जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके कारण गैर जिम्मेदाराना ढंग से ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। जिन को ऋण मिलना चाहिए जो वास्तव में उसके हकदार हैं, वह उनको नहीं मिल रहा है। जो इसके हकदार नहीं

हैं, वे ऋण लेते हैं, वापस नहीं चुकाते हैं जिस के कारण बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ रहे हैं।

आज इस बात की आवश्यकता थी कि एक तरफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को बढ़ने से रोकने के लिए कोई सुधार रैगुलेशन में किया जाता और दूसरी तरफ बैंकों का जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्माण हुआ था, उसे पूरा किया जाता। हम सहकारी अन्दोलन को कितना आगे बढ़ाएं, किसानों को कितना ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकें, इस दिशा में उसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी।

एक अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बैंकों में कई घपले होते हैं। घपले और गड़बड़ी होती है तो यह कहा जाता है कि सिस्टम का दोष था। इस तरह के घपले भविय में सहकारी बैंकों में न हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो व्याप्त व्यवस्था और प्रबन्धन है, उस स्तर पर इस तरह के घपले न हों, उसे रोकने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहेंगे इस दिशा में कदम उठाए जाएं। आज माननीय मंत्री जी लिमिटेड बिन्दु पर इस अध्यादेश के साथ आए हैं, वह सदन को बताएं कि कितने दिनों में वह व्यापक सुधार के साथ एक बिल लेकर सदन के सामने आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.00 hrs.

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाणा) : सभापति महोदय, मैं अपने भाषण के शुरू में वित्त मंत्री जी का इसलिये अभिनन्दन करना चाहता हूँ क्योंकि अपेक्स अरबन मल्टी-स्टेट को-आपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र और गोआ के अस्तित्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और यह परिस्थिति निर्मित हुई। इससे देश के मल्टी स्टेट को-आपरेटिव बैंकों के कारोबार और डिपोजिटर्स के इंटरैस्ट को प्रोटेक्ट करने में दिक्कत आई है। आर.बी.आई के लिये नये मल्टी स्टेट को-आपरेटिव बैंकों को लाइसेंस देने का सवाल पैदा हुआ तो यह आर्डिनंस लाया गया और उस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिये इस सत्र में यह बिल आया है। अगर हर स्टेट में स्टेट को-आपरेटिव बैंक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट के सोसायटी एक्ट के तहत होता है और उस राज्य के जितने को-आपरेटिव बैंक्स और अन्य सहकारी संस्थाएं हैं, उन पर नियंत्रण करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अपेक्स अरबन मल्टी स्टेट को-आपरेटिव बैंक किस कानून के अंतर्गत पैदा हुआ, क्या उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र या गोआ की सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत हुआ? जब सोसायटीज एक्ट में प्रोवीजन नहीं है या बैंकिंग रे. एक्ट में प्रोवीजन नहीं है तब रिजर्व बैंक ने उसे मल्टी स्टेट बैंक का लाइसेंस सन् 1996 में कैसे दे दिया? लेकिन 2003 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वह लाइसेंस विद्वद्ध हो गया। आज बैंक अपने पास डिपोजिट रखे हुये हैं जिसका जिक्र कई माननीय सदस्यों ने यहां किया है। डिपासिटस रखनेवाले बैंकों को एन.पी.ए. की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ एपेक्स अरबन मल्टी स्टेट को-आपरेटिव बैंक के पास जितनी राशि पड़ी हुई है, एन.पी.ए. की वजह से अपने काम में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आज स्टैंडस्टिल स्थिति पैदा हुई है। जो भी कर्जदार हैं, उनसे पैसा वसूल करने के लिये नहीं जा सकते। तीसरे, वहां जो कर्मचारी बैठे हुये हैं, न वे कोई अधिकारी हैं और न कोई ऑर्डर देने वाले हैं और न कर्मचारी काम कर सकते हैं। इसलिये आज यह परिस्थिति पैदा हो गई है। इसका असर दूसरे को-आपरेटिव बैंक पर भी पड़ रहा है। यहां तक कि शुगर इंडस्ट्री भी इससे नहीं बचा है। मैं खुद कुछ शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। शुगर इंडस्ट्री ने कुछ कर्जा लिया है आज वे दूसरे बैंकों से कर्जा नहीं ले सकते हैं। यह बैंकों को गलत लाइसेंस जारी करने के लिये आर.बी.आई. की लाइसेंसिंग अथरिटी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। जब गलत लाइसेंस दिया गया तो मुम्बई हाई कोर्ट ने उस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस सब के लिये रिजर्व बैंक की लाइसेंसिंग अथरिटी जिम्मेदार है।

सभापति महोदय, आज की स्थिति में नया मल्टी स्टेट लायसेन्स देने में भी दिक्कतें आ रही हैं। यह भी अमेंडमेंट का एक मकसद है। मेरे साथियों ने एक सवाल उठाया है। यह सिलसिला दो साल से चला आ रहा था जिसमें कहा गया कि डिपोजिटर्स का इन्श्योरेंस क्लेम डबल हो जाये। आज की स्थिति में 5 लाख तक करना उचित होगा। ऐसा करने से डिपोजिटर्स अपना पैसा को-आपरेटिव बैंकों में रख सकेंगे क्योंकि आम आदमी को-आपरेटिव बैंकों से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो रिटायर्ड लोग या वी.आर.एस. लिए हुए लोग होते हैं, छोटे-छोटे बिज़नेसमैन होते हैं, हमारे किसान भाई होते हैं जो ज्यादातर अपना पैसा बैंकों में रखना पसंद करते हैं।

अगर वे कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना चाहते हैं तो आजकल उनके मन में डर पैदा होता है कि कोऑपरेटिव बैंक की हालत कुछ भी हो सकती है - हम क्या करें, यहां अपना पैसा रखें या न रखें - ऐसी परिस्थिति भी आती है।

यहां एक सवाल ड्यूल कंट्रोल का उठाया गया। मेरा खुद का अनुभव है और मैं सहकारी मूवमेंट में पिछले 30-35 सालों से काम कर रहा हूँ। हर राज्य में अपने-अपने कानून के तहत यानी सोसायटीज एक्ट के तहत वहां के बैंकों का रजिस्ट्रेशन होता है। उसका मैनेजमेंट यदि कोई गलत काम करता है तो देखा जाता है कि वहां का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, वहां लेन-देन के व्यवहार होते हैं, ऑडिट भी गलत किया जाता है। अगर ऑडिट सही किया और कुछ प्वाइंट ऑडिट ने निकाले तो वहीं मैनेज किया जाता है। एक बात समझ में नहीं आती है कि यदि इस साल एक बैंक को 'ए' ऑडिट वर्ग मिलता है, लेकिन अगले साल डायरेक्ट वह 'सी' या 'डी' में चला जाता है ऐसा कैसे हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है। अगर उसकी वर्किंग सही नहीं है तो हर साल जो ऑडिट होता है, उसमें जो कुछ मुद्दे मिलते हैं। उन मुद्दों के तहत अगर कानूनी कार्रवाई होती तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से वहां के ऑडिटर राज्य सरकार के होते हैं, जो मैनेज हो जाते हैं। उनका इस तरह का व्यवहार हो जाता है जिससे एक दिन वह बैंक वीक हो जाता है, दूसरे साल सिक हो जाता है और एक दिन लिक्विडेशन में चला जाता है। इस तरह से डिपोजीटर्स या आम आदमी का बहुत नुकसान होता है। उसके बाद जो लिक्विडेटर अपाईंट होता है, वह वहां जाकर और क्या धंधे करता है, उसके उम्र और कोई अथॉरिटी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वह और अलग काम करता है।

इस सबका नतीजा यह हुआ है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट की ओर देखने का आम आदमी का ढंग बदल गया है। लोग समझते हैं कि यह कभी ठीक नहीं चलता है और किसी भी वक्त लिक्विडेशन में जा सकता है। इसलिए हमारा पैसा वहां सुरक्षित नहीं है। सही मायनों में आम आदमी का पैसा लेकर आम आदमी को मदद करने का जो काम सहकारी बैंकों के द्वारा होता था, उसमें आज बहुत दिक्कतें आ रही हैं।

मैं जानता हूँ कि आज के अमेंडमेंट के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आज कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ आ रही हैं, उन्हें बताने का मौका मुझे मिला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ड्यूल कंट्रोल हटाकर सिंगल कंट्रोल होना चाहिए। शायद इसकी हलचल हो भी रही है, कोई बिल भी उस विषय पर आ रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह बिल जल्दी लाना बहुत जरूरी है। आज जो हालत एपेक्स अरबन कोऑपरेटिव बैंक्स की है, ऐसी हालत की वजह से दूसरे बैंकों पर और शुगर इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ा है। उसे हल करने के लिए कोई न कोई रास्ता जल्दी निकालना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे काबिल वित्त मंत्री जरूर इसमें से कोई रास्ता निकालेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

SHRIMATI P. SATHEEDEVI (BADAGARA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The reason for the promulgation of the Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Ordinance, as stated by our Finance Minister, is of bringing legality to the licences issued by the Multi-State Co-operative Banks and to enable the Reserve Bank of India to make specific provision to carry on the banking business.

Now, this is the year 2004 and we are celebrating hundred years of achievement of the co-operative movement. Towards the end of this year, we are intending to bring out this amendment only because of the intervention of the verdict on the part of the Supreme Court. Even then, I really appreciate the intention of the Finance Minister for promoting the interest of the co-operative sector.

Actually, we have neglected the 200-million member strong institutional network as an agency for economic development and equitable distribution of income of the country. Towards the end of the NDA regime, they had tried to bring a legislation, but fortunately, it was not done and the co-operative sector was saved. If that Bill had been introduced, the co-operative sector as a whole would have deteriorated. The Cooperatives have been instrumental in the generation of rural employment, disbursement of agricultural credit, and expansion of the public distribution system in the country.

I take this opportunity to request the Government to introduce a comprehensive legislation for strengthening the cooperative movement as a whole, and also to strengthen the autonomy and integrity of the Cooperative Banks. It would have been better if the Government had brought a separate legislation for this purpose. The scope of discussion on this issue at this juncture is very limited. It is only a case of ratification. There must be a free and thorough discussion on this subject as it is a matter concerning the cooperative movement. The autonomy of the Cooperative Banks should not be curtailed in any way. Our hon. Prime Minister has promised a constitutional amendment to promote the autonomy of the cooperative sector in our country.

The decision of the Finance Ministry to introduce, and implement service tax on the cooperative banking service will very badly affect the growth of the cooperative banking sector. Hence, I would request the Government to exclude the service tax from the cooperative sector.

I would again like to take this opportunity to request the Government to introduce a new comprehensive legislation in order to strengthen the cooperative movement in the country.

With these words I support this Bill.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। इस बिल के माध्यम से देश के 35 मल्टी स्टेट सहकारी बैंक सीधे रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नियमन के दायरे में आ जाएंगे। इस प्रकार से निवेशकों के हितों और उनके पैसे का भी संरक्षण हो सकेगा। इसी संबंध में, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि उचित तो यह होता अगर सरकार इस बारे में एक समग्र विधेयक सदन में प्रस्तुत करती और उसके बाद इसके उमर विस्तार से चर्चा होती। आज यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट द्वारा गलती दिखाई जाने के कारण और उसके निराकरण के लिए यह बिल लाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि मल्टी स्टेट विधि मान्यता संबंधी शंकाएं पैदा होने लगी थीं, उनके निराकरण के लिए यह बिल लाया गया है और कुछ ने बताया कि भविष्य में ऐसी कोई कठिनाइयां पैदा न हों, उनका निराकरण करने के लिए यह बिल लाया गया है।

महोदय, अक्टूबर, 2003 में इस गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। उसके बाद यह बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। 14वीं लोक सभा के प्रथम सत्र के अंदर अगर यह बिल ले आया जाता, तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब आया है, जो देर आयद दुरुस्त आयद है।

महोदय, सरकार ने इस छोटे से बिल के लिए अध्यादेश का सहारा लिया। मैं समझता हूँ कि किसी लोकप्रिय सरकार के लिए बार-बार, छोटी सी बात के लिए, इस प्रकार के आर्डिनैस का सहारा लेना उचित नहीं कहा जा सकता है। वित्त मंत्री महोदय भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे और जैसा सभी साथियों ने विचार व्यक्त किया है कि एक समग्र बिल इसके बारे में अवश्य लाया जाएगा ताकि देश का सहकारिता आन्दोलन दृढ़ता के साथ और भी प्रभावी सिद्ध हो सकेगा।

16.14 hrs(Shri Arjun Sethi *in the Chair*)

महोदय, वैसे सहकारी बैंक किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। महाजनी ऋण के चंगुल से किसानों को मुक्त कराने के लिए जब देश के अंदर सहकारिता आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तभी सहकारी बैंकों की स्थापना हुई और किसानों की नित्य-प्रति की आवश्यकताओं, चाहे वह उनकी अपनी पूंजी को जमा कराने की हो, चाहे फसली ऋण प्राप्त करने की हो, अथवा अन्य अवसरों पर शादी विवाह के अवसर पर ऋण लेने की हो, उन्हें पूर्ण करने के लिए किसान सहकारी बैंकों का सहारा लिया करते थे।

इसलिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार एक प्रकार से ये सहकारी बैंक रहे हैं और इन सहकारी बैंकों का किसानों के साथ में चोली-दामन का संबंध रहा है। इसलिए वित्त मंत्री जी के लिए आवश्यक है कि आगे आने वाले समय में सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए, चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हों, स्थानीय सहकारी बैंक हों, मल्टी स्टेट सहकारी बैंक हों अथवा कृषि ऋण दात्री, जो सहकारी समितियां हैं, वे हों, किसी भी प्रकार के बैंक हों, ये जो भी लेन-देन का काम करते हैं, सहकारिता के आधार पर जिनका गठन होता है, उनके बारे में भविष्य में एक समग्र बिल लाए जाने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि इस बिल के द्वारा मल्टी स्टेट सहकारी बैंकों का जो निदेशक बोर्ड है, उसे बेदखल करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त हो गया और अब तक इस प्रकार के जो मल्टी स्टेट के बोर्ड होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड होते हैं, वे केन्द्र या राज्य सरकारों की अलग-अलग नीतियों की आड़ के अंदर तमाम कारगुजारियां करते थे, गबन और घोटाले करते थे, घपले करते थे। भ्रष्टाचार पनप रहा है, अब वे भविष्य में ऐसा नहीं कर पाएंगे, निदेशक मंडल की मनमानी भी नहीं चलेगी और एक प्रकार

से आरबीआई की सीधी नजर भी रहेगी।

मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अजमेर में एक अरबन कोआपरेटिव बैंक था, वहां के निदेशक मंडल के एक अधिकारी ने बहुत बड़ा घपला, घोटाला कर लिया। वहां के कर्मचारियों और जिन निवेशकों का खाता उस बैंक में था, उन लोगों ने मिल कर के एक ज्वाइंट अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और तत्कालीन वित्त मंत्री जी और आरबीआई के पास भी भेजा, लेकिन सब ने असमर्थता प्रकट की कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और हस्तक्षेप करने का अधिकार न होने के कारण इस प्रकार के बैंकों को मनमानी करने का अवसर प्राप्त होता था। अब इस बिल के पारित हो जाने के बाद निदेशक मंडल की मनमानी दूर हो जाएगी और एक प्रकार से सीधे हस्तक्षेप रिजर्व बैंक कर सकेगा। लेकिन इसमें एक कमी रह गई है कि सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह ठीक है कि पांच साल के लिए निदेशक मंडल के अधिकार शून्य होंगे। आप कुछ समय के लिए बैंकों के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित कर लेंगे, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता। आपको ज्यादा से ज्यादा पांच साल का अधिकार मिला है। इस बैंकिंग एक्ट में जो संशोधन आ रहा है वह केवल पांच वर्षों के लिए है। आप निदेशक मंडल को उसके अधिकार विहीन बना सकते हैं और उसे बेदखल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वास्तव में भ्रष्टाचार कर लिया, पैसा खा गए और राम-नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और लूट लिया तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। इस कार्यवाही के बारे में सजा का प्रावधान या नया कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह नियुक्त करने के बारे में कोई निर्देश दें तो और भी ज्यादा उपयुक्त होता। अच्छा होता यदि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस एक्ट के दांत थोड़े नुकीले होते तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से डरते और इन सहकारी बैंकों का काम भी थोड़ा और सुधर जाता तथा भ्रष्टाचार के पनपने की गुंजाइश उसके अंदर न रहती।

इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि तीन चीजें सहकारी बैंकों के अंदर हों। चाहे मल्टी स्टेट हों, स्टेट कोआपरेटिव बैंक हों या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक हों या किसी भी प्रकार का सहकारिता के आधार पर गठित बैंक हो। इन बैंकों के अंदर एक तो प्रोपर इलैक्शन का प्रावधान हो। बहुत से बैंकों में निदेशक मंडल भंग हो जाता है, व्यवस्थापकों को मिटा दिया जाता है, कई साल तक उनके चुनाव नहीं होते और फिर एक व्यक्ति अपनी मनमानी करने लग जाता है। इसलिए प्रोपर इलैक्शन समय पर हों और उसके साथ-साथ जैसे और बैंकों को नबार्ड के द्वारा ऑडिट किया जाता है, उनके द्वारा इन मल्टी स्टेट कोआपरेटिव बैंकों को ऑडिट करने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए। समय-समय पर नबार्ड के अधिकारी जाकर इन मल्टी स्टेट कोआपरेटिव बैंकों की जांच कर सकें, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जैसे हमारे साथी मोहन सिंह जी ने कहा कि सीएजी के अंतर्गत ला करके आडिट अगर प्रतिर्वा हो तो इंटरनल आडिट के साथ-साथ एक्सटर्नल आडिट की दृढ़ व्यवस्था होने पर इन बैंकों में भ्रष्टाचार की संभावना नहीं पनप सकेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके बारे में भी भविष्य में जब भी आप समग्र बिल लाएं तो उसके अंदर इन सारी बातों का प्रावधान हो। एक खबर आ रही है कि अब आर्डिनंस आया है। जब यह बिल पास हो जायेगा, चूंकि सहकारिता राज्य सरकारों का विषय रहा है और सहकारी बैंकों के नियम बनाने का काम और उन पर नियंत्रण स्थापित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का रहा है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन बैंकों पर कोई प्रभावी असर नहीं पड़ना चाहिए, बैंकों की स्वायत्तता और ऑटोनोमी बनी रहनी चाहिए और राज्य सरकारें भी यह नहीं समझें कि केन्द्र ने इस रेगुलेशन एमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमारे ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, हमारे अधिकारों को कम कर दिया है। यह राज्यों और केन्द्र के अन्दर कोई नया विवाद पैदा हो, ऐसी स्थिति भी पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में और सावधानी बरतनी अत्यन्त आवश्यक है। सबसे बड़ी बात कि जब देश के अन्दर 35 के लगभग इस समय मल्टी स्टेट सहकारी बैंक हैं, जिनमें 40 हजार करोड़ रुपया छोटे-छोटे निवेशकों और जमाकर्ताओं का इस समय जमा है, जिनमें से कुछ बैंकों की स्थिति अभी भी दयनीय हो रही है। आपने कुछ बैंकों का अपैक्स महाराष्ट्र एण्ड गोवा बैंक लि. की चर्चा की, उसका निर्णय आया, उसके संदर्भ में हो रहा है, लेकिन अहमदाबाद में जो एक बैंक के अन्दर जो घोटाला हुआ और उसके बाद लखनऊ के अन्दर हुआ। और भी बड़े-बड़े नगरों के अन्दर इस प्रकार के बैंक जो पंजीकृत होते हैं, लेकिन बाद में घोटाला करके एकदम उनके ताले बन्द हो जाते हैं और निवेशकों की पूंजी के ऊपर, उनकी गाढ़ी कमाई के ऊपर पानी फिर जाता है। इसलिए निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह जो संशोधन लाया गया है, मैं समझता हूँ कि यह बड़ा उपयोगी है। उनका जो निदेशकमंडल है, वह क्रियाकलापों में अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, उनकी जांच भी हो सकेगी, ग्राहकों का पैसा भी सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्दर एन.पी.ए. की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो माया से माया मिली, कर कर लम्बे हाथ, तुलसी हाथ गरीब की, पूछे न कोई बात। जिन सहकारी बैंकों का गरीबों से सीधा सम्बन्ध है, उनके बारे में तो आप सारे रेगुलेशन, एमेंडमेंट एक्ट और उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें करोड़ों अरबों रुपये की राशि एन.पी.ए. के अन्दर चली जाती है, बट्टेखाते में डाल दी जाती है और बड़े-बड़े उद्योगपति बड़ी चालाकी के साथ कभी किसी उद्योग को स्थापित करने के नाम पर एकदम बैंक से कर्ज ले लेंगे। उसके थोड़े समय के बाद दिवाला निकाल देंगे, फिर थोड़े समय के बाद दूसरा उद्योग स्थापित कर लेंगे और उसके लिए कर्ज ले लेंगे और बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत से निवेशकों का पैसा बैंकों का करोड़ों रुपया चला जाता है और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। आपने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल स्थापित किया है, लेकिन वह भी प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाया है, परिणामस्वरूप समझौता करना पड़ता है और समझौते के अन्दर कुछ लेनदेन की बात होती है।

दूसरी तरफ, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब अकाल पड़ रहा है और कई राज्यों के अन्दर 3-3, 4-4 और 5-5 साल से दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई है, सारी फसलें सूख जाती हैं, परिणामस्वरूप किसान बैंकों से लिए हुए कर्ज को समय पर लौटा नहीं पाता है तो ऐसे समय में उस कर्ज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की माफी दे दी जानी चाहिए और उनके पास वसूली करने के लिए जो कुर्की पहुंचती है या उसका सामान नीलाम होता है तो इस प्रकार की स्थिति से बचे रहना चाहिए। ऐसे समय में थोड़ी उदारता का व्यवहार करके, पहले उसकी देनदारी अच्छी होगी, लेकिन अब अकाल की परिस्थितियों के कारण खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, ऐसे समय में बैंकों के द्वारा ऋण वसूली करने के नाम पर सख्ती करके और नाना प्रकार के अभियोग लगाना, मुकदमे लगाना, इस प्रकार की बातों से बचे रहना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले। वास्तव में किसान तो बेचारा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज के अन्दर ही जीता है और कर्ज के अन्दर ही मर जाता है। उसे कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जब सबसे पहले 1989 के अन्दर यहां परिवर्तन आया तो किसानों के कर्ज माफ किये गये थे, उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने से किसानों को सहारा मिला। लगातार अकाल पड़ने के कारण और पशुधन के नष्ट हो जाने के कारण खेतों में बोया हुआ बीज भी वसूल नहीं होने के कारण जो किसान कर्ज का शिकार हो गये थे, उस कर्ज से थोड़ा सा भी सहारा मिलता है तो डूबते को तिनके का सहारा प्राप्त हो जाता है, उस समय वह सहारा प्रदान किया गया था। इसी प्रकार का प्रावधान गरीबों के लिए हो, गरीब की रेखा से नीचे के लोगों या मार्जिनल फार्मर्स के लिए हो। लेकिन आप बड़े-बड़े लोगों के एनपीए बट्टे खाते में डालकर उनकी वसूली स्थगित करते हैं, माफ कर देते हैं, समझौता कर देते हैं जबकि बेचारे गरीब का सब कुछ नीलाम कर दिया जाता है। कई बार कोआपरेटिव बैंकों में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कर्जा वसूल नहीं होने पर लोगों को डंडा लेकर पीटने पर उतारू हो जाते हैं। कई गांवों में तो मुर्गा तक बनाया जाता है। ऐसी अमानवीय यातनाएं देने का काम बैंक वसूली के नाम पर किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचा जाना चाहिए।

सरकार ने 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मूल रूप से बनाया था। सहकारी बैंकों के अंदर बहुत राशि जमा होती है और उनके लेन-देन वगैरह का सारा काम होता है इसलिए इस एक्ट के उपबंधों को 1965 में सहकारी बैंकों के ऊपर लागू किया गया था। केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर, प्राथमिक बैंकों पर, कृषि बैंकों पर, राज्य बैंकों पर 1965 के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो संशोधन करके सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था, उसकी एक बार समीक्षा की जानी चाहिए कि इस कानून के लागू होने के बाद इन बैंकों के कार्यकरण में, इनकी परिस्थिति में, व्यवस्था में, संचालन में, गठन में, उपयोग में, प्रभाव में और इनकी सेवाओं के अंदर क्या परिवर्तन आया है और वर्तमान बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप क्या परिवर्तन उस कानून में किया जाये या उन पर कैसा नियंत्रण स्थापित किया जाये जिससे वे अधिक उपयोगी हो सकें। अभी तक केवल धारा 22 के अन्तर्गत आरबीआई को लाइसेंस देने का प्रावधान था लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि कोई ऐसी बैंक अंडर मल्टी स्टेट सहकारी कम्पनियों रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत बनी हैं, गठित हुई हैं, तो उस लेकुना को दूर करने के लिए आप यह बिल लाये हैं। इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के लिए, बैंकों के कुप्रबंधन को दूर करने के लिए और बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए, चाहे वह सहकारी बैंक हो, राष्ट्रीयकृत बैंक हो या अन्य प्रकार के बैंक हों, सरकार एक समग्र बिल सदन के सामने प्रस्तुत करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I am happy that the effect of the Supreme Court judgement is being overcome by this Bill. This Bill is brought to strengthen the cooperatives. Licences to some of the multi-State cooperative banks for banking were cancelled and that effect has been taken over or has been dealt with in this legislation.

Sir, this Bill would also enable the Reserve Bank of India to issue further licences. I would also submit that this Bill would consider giving validity to the licences which were granted and the validity which was lost due to the Supreme Court judgement. I would also think that some of the applications, which were made by some of the multi-State cooperatives or some of the initiatives taken in this regard, which were regretted on the basis of the Supreme Court judgement, may also have to be considered in this Bill. I think further provisions have to be added in this Bill.

As most of the hon. Members have stated, there is a need for looking into the cooperative banking system as a whole and to strengthen the cooperatives which are doing the banking business. In many of the States, they are doing very well. But it is also a fact that sometimes the power politics enters into the free running of the cooperatives. Therefore, many of the cooperatives are being affected by some of the politicians who come to power and try to misuse the cooperatives also. In the constituency, there has been an instance where a big tyre factory has been registered as a company and also as a cooperative. Both were done together. We do not exactly know how it has been managed. But the persons behind the show, whenever they came to power, managed to make all the cooperative societies nearby to donate to this big tyre company. The tyre company has never started functioning though it was mentioned that it would be started and tyre would be made out of the natural resource, which was being given by the farmers. It was an initiative to help the farmers. But it has worked out to be in the negative. We have seen that no factory has come up and a lot of corruption has taken place in this regard. I am sure, the controls which have been envisaged in this Bill may be useful, to some extent, to have a check on such nefarious activities which are taking place in this regard. I am sorry, I could not give the details because the Finance Minister was not on the seat. I will give a separate note to him in this regard.

I do not wish to make a big speech. I think that cooperatives are mainly meant for the farmers, for the rural areas and also for small depositors. The initiative, which has been taken in this regard, is good. I hope, many multi-cooperative societies may come into the field fearing some political interference, which is coming up in a particular State. Therefore, more and more cooperatives are going to come into the fold of multi-State level. Hence, the guard, which is being provided by this Act, the insurance, the security, which have been provided by this Bill, is a laudable step.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, this Bill, which is being piloted – the Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Bill – is a welcome measure. It is just a Bill to follow up and strengthen the Multi-State Cooperative Societies Act, which was enacted in 2002. In that Act, the main provision was to give more autonomy to the cooperative sector because the cooperative movement for the last fifty years has been limping. It was started with a good intention, for the betterment of the poor, for improving the conditions of the farmers and the people living in rural areas. But gradually, this cooperative movement developed into a nexus between politicians and bureaucrats. Then, it developed into a nexus among the businessmen, stock-brokers and politicians. There has been a lot of money laundering through the medium of cooperatives. There was the control of the RBI over the banks. But there was no direct control of the RBI on cooperatives. This led to money laundering by politicians and bureaucrats and to meet the political ends.

This Bill is a welcome measure and I congratulate the Finance Minister that at least now, the RBI will have some sort of control, some type of *ankush* upon the financial discipline of the cooperatives. We hope, in the future, after the enactment of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act, 2002 and now by passing this Bill, it will definitely strengthen and give more autonomy and more transparency to the cooperatives. The idea of the Multi-State Cooperative Societies Act was to provide more autonomy and bring more professionalism into the cooperative sector. The Companies Act was also enacted for that purpose and certain clauses were changed to make it function on par with various joint stock companies. Now the middle class people of this country, the farmers of this country who have formed various types of cooperatives, right from weavers' cooperatives to farmers' cooperatives, can have the best professional standards.

Now, this Bill would give the teeth for proper financial discipline, thereby making the co-operatives more strong.

Sir, the co-operative bank is the lifeline of the poor people in the rural areas. If this is not strengthened, they would be subject to moneylenders, like in Andhra Pradesh today. Sir, 2,800 farmers had died, but the Government has not taken any measure in that matter. There, the co-operative movement has completely collapsed. What is the co-operative movement that we have seen in Maharashtra or Goa? They went to the stock exchange and had nexus

with the corrupt brokers, and that led to the Supreme Court to give a direction to get in this legislation.

Therefore, Sir, with these words, I once again thank the hon. Finance Minister for bringing this piece of legislation.

श्री दह्याभाई वल्लमभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जो अमेंडमेंट बिल लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ जो कोआपरेटिव बैंक, कोआपरेटिव सोसायटी और किसान सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कोआपरेटिव बैंक, अर्बन एरियाज में हैं। रूरल एरिया के सब किसान कोआपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं। साउथ गुजरात के दो कोआपरेटिव बैंक नौसारी और बलसार जिले में दो कोआपरेटिव बैंक को बंद कर दिया। उसी समय बंद किया गया जब दीपावली का समय था। उस समय कोआपरेटिव बैंक बंद था और किसान लोग नया साल और दीपावली कुछ ठीक से मना नहीं पाए। वे लोग बहुत परेशान हैं। कोआपरेटिव बैंक जैसा सूरत में माघवपुरा बैंक था, उसको गुजरात सरकार ने 407 करोड़ रुपया दिया और उस बैंक को चालू करवा दिया। मेरी गुजरात सरकार से बात हुई। गुजरात सरकार ने बताया कि केन्द्रीय सरकार की ओर से और हम लोग परसेंटेज देकर गारंटी लैटर रिजर्व बैंक को देंगे तो बैंक वापस चालू होगा। जिन लोगों ने कोआपरेटिव बैंक में पैसा जमा किया, जो सब्जी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, लहारी चलाने वाले हैं या अन्य ऐसे आदमी हैं, जिन्होंने एक-एक दिन करके एक-एक रुपया इकट्ठा करके बैंक में पैसा जमा किया है, आज उन लोगों को बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे मुम्बई में ग्लोबल बैंक के साथ हुआ, ओरियंटल बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और लोगों को पैसा मिल रहा है। उसी तरह इस बैंक को भी, कोआपरेटिव बैंक का रिजर्व बैंक ने जो लाइसेंस रद्द किया है, वह चालू करे और किसान को फायदा मिले, किसान को पैसा मिले, ऐसा हम चाहते हैं। कोआपरेटिव बैंक में जो मैनेजिंग कमेटी है, रिजर्व बैंक की मैनेजिंग कमेटी ही लोन ले लेती है, उनकी मिसेज या फौमिली के कोई रिलेटिव पैसा निकाल लेते हैं, वैसा नहीं है। जो नौसारी और बलसार में बैंक को बंद किया है, जितने कमेटी के मैम्बर्स हैं, उनका ही फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा है। आज करोड़ों रुपये का बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है। आज बैंक बंद कर दिया गया है। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि उसे चालू किया जाए।

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Hon. Chairman, Sir, the co-operative banks are registered by the State Governments and the license is given by the Reserve Bank of India, that is, the Central Government.

In my area, there are about 10 to 15 sugar factories. Each sugar factory crushes nearly 5,000 tonnes of sugarcane. From these sugar factories, about four lakh families can lead their livelihood. But unfortunately, for the last three years, there was a drought. Most of the cooperative banks are not financing the cooperative factories. Their plea is that there is a guideline from the Centre, the Reserve Bank of India, directing them not to finance the cooperative sugar factories. Hence, these cooperative banks are not financing the cooperative sugar factories. As a result of this, most of the sugar factories in my area are distressed and the farmers are in great trouble.

I have already brought it to the notice of the hon. Minister. For each tonne of sugarcane the Government is earning revenue of Rs.700 either in the shape of sales tax, income tax or the Central excise duty. We talk too much about the farmers but in this country for construction of house, a Member of Parliament or any other employee gets the loan at the rate of seven per cent whereas farmers are getting at 11 per cent interest. This disparity should go. I request the hon. Minister to direct the cooperative banks to finance those sugar factories which are in a position to run, in the interest of the farmers. Those factories which are not in a position to run due to misappropriation and so on, he can confiscate the properties of either Director, Chairman or anybody because they are politically influenced people. Some factories are not being influenced by this and are running in a very good condition.

Cooperative sector is not getting the finance because of the guidelines issued by the Centre. I would request the hon. Minister to immediately direct the concerned cooperative banks to finance those cooperative factories which are having huge amount with them and are in a position to run. Belgaum is the border area of Goa and Maharashtra. Sugarcane growers are there in my area. I request the hon. Finance Minister to direct the cooperative banks to finance the cooperative sugar factories.

For the last three years there were no rains. Hence, the sugarcane production was less. This year we had very good rains and very good crop. Farmers can earn a little bit from this. I request the Government to come to the help of the farmers. I request the UPA Government not to make the life of the farmers distressed.

Wherever the State Government has given guarantee to the cooperative banks, they have given finance to the sugar factories and wherever this guarantee is not given by the State Government, the banks have not financed the cooperative factories. This disparity should go. It should not be seen as a political issue. Farmers are the respectable people of our country and they should not be dealt with politically. I request the Finance Minister to direct the concerned banks to finance those cooperative factories which are capable of running. Finally, I support the Bill.

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2004 सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह बिल बहुत सीमित उद्देश्य के लिए लाया गया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने पर विचार करेंगे। माननीय सदस्यों ने इस बिल पर बोलते हुए सहकारी संस्थाओं के बारे में जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, वित्त मंत्री जी उस पर विचार करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। संविधान में हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्वीकार किया था और सोचा था कि इस देश में समता लाएंगे। समता तो बहुत दूर, लेकिन हमारे देश में जो कोआपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था, वह इस उद्देश्य से शुरू हुआ था कि देश में भविष्य में समता आएगी। कोओपरेटिव मूवमेंट सारी दुनिया में जापान में ज्यादा मजबूत है। रूस में कोओपरेटिव मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ और चीन भी अब कोओपरेटिव मूवमेंट को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। लेकिन हमारे देश में जहां कोओपरेटिव मूवमेंट

आजादी से पूर्व शुरू हुआ था, हम आशा करते थे कि उससे देश की आम जनता को, गरीब जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन जनता की वह आशा पूरी नहीं हुई। आज देश के 30 कोओपरेटिव बैंक्स में से सात की हालत बहुत गंभीर है। अभी जो 366 जिला केंद्रीय कोओपरेटिव बैंक्स हैं उनमें से 143 बैंक्स बहुत खराब स्थिति में हैं। माननीय वित्त मंत्री जी उस पर क्या विचार कर रहे हैं वे अपने जवाब में हमें बताएं। मधेपुरा बैंक्स का उदाहरण मैं देना नहीं चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को सब मालूम है कि किस तरह से आम जनता का पैसा वहां लूटा गया। इस स्थिति से निपटने के लिए एक कंग्रीहैन्सिव बिल की जरूरत थी। बैंकिंग स्थिति और कोओपरेटिव संस्थाओं के जो बैंक्स हैं, उनमें जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वह एक तरफ तो स्टेट रजिस्ट्रार के अधीन है और दूसरी तरफ आर.बी.आई के कंट्रोल में है। इस ड्यूल कंट्रोल के कारण उनको ठीक फायदा नहीं मिल रहा है। कोओपरेटिव बैंक्स ठीक ढंग से चलें, इस पर आप कुछ विचार करें।

मान्यवर, नरसिम्मा कमेटी के कोओपरेटिव बैंक के बारे में कुछ सुझाव थे। माननीय वित्त मंत्री जी मीटिंग में बता रहे थे कि नरसिम्मा कमेटी के आधार पर वे एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाएंगे, उस पर आप कब तक विचार कर रहे हैं यह भी बताएं। सन् 2004 में आरबीआई के वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डै वलेपमेंट के बारे में थी। क्या माननीय वित्त मंत्री जी उसके आधार पर भी कुछ विचार कर रहे हैं। कोओपरेटिव बैंक्स के ऊपर जेपीसी ने भी कुछ सुझाव दिये थे। सरकार उस बारे में क्या विचार कर रही है वह बताएं। माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे तो अपने जवाब में उसको भी शामिल करेंगे। एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए आरबीआई के कुछ निर्देश थे लेकिन वह काम भी नहीं हो पा रहा है और किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में आर.बी.आई के जो निर्देश थे उन पर स्टेट कोओपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी सोसाइटीज और सेंट्रल कोओपरेटिव बैंक्स काम नहीं कर रहे हैं, उन निर्देशों को मान नहीं रहे हैं। जो नेशनल बैंक्स हैं उनको भी एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए आर.बी.आई के निर्देश हैं, गाइडलाइन्स भी हैं लेकिन नेशनल बैंक्स भी एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सरकार को इस पर अमल करवाना चाहिए। नाबार्ड भी एग्रीकल्चर क्रेडिट देने का काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी माननीय वित्त मंत्री को ध्यान देने की जरूरत है। मैं बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि देश में नेशनलाइज्ड बैंक्स का डिपोजिट क्यों कम हो रहा है। 30 सितम्बर तक जो उनकी 6 महीने की स्थिति थी कि बैंक्स का डिपोजिट 13,000 करोड़ रुपये पिछले र्वा की तुलना में कम हुआ है। पिछले साल सितम्बर तक 81, 237 करोड़ रुपये का डिपोजिट हुआ था। पिछले साल इस समय तक बैंकिंग सैक्टर में टोटल 94804 करोड़ रुपए डिपोजिट हुए थे। प्राइवेट सैक्टर के बैंकों, नेशनलाइज्ड बैंकों और कोओपरेटिव बैंकों की आर. बी. आई गाइडलाइन्स एक जैसी नहीं है। प्राइवेट सैक्टर के बैंकों की दूसरी हैं और सरकारी बैंकों की दूसरी हैं। इसे कैसे ठीक ढंग से किया जाए, इस पर वित्त मंत्री विचार करें जो फ्वाइंट्स वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाए हैं, उन पर वित्त मंत्री जरूर जवाब दें।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I am deeply grateful to hon. Members -- a very large number of them, belonging to all political parties -- who have participated in this debate and without dissent have supported the Bill.

Sir, the Bill was in response to a judgement of the Supreme Court delivered on the 29th of October, 2003 where the Supreme Court held that a State Government did not have the power to notify a multi-State co-operative Society as a co-operative bank and consequently the Reserve Bank of India did not have the power to license such a bank. Although this judgement was delivered in October, 2003, the Government did not respond to it immediately presumably because it was considering comprehensive amendments to the Banking Regulation Act. In fact, most of the suggestions made this afternoon relate to comprehensive amendments to the Banking Regulation Act.

It is true that such a Bill was introduced in Parliament on the 23rd of August, 2003. The Bill lapsed. After the new Government took over, we are engaged in consultation with the RBI on re-introducing the Bill. The Reserve Bank of India is expected to send its final recommendations within the next few weeks and I expect to introduce a comprehensive Bill to amend the Banking Regulation Act in the Budget Session next year. That will deal with many of the problems that the hon. Members have highlighted.

I am not at all happy with the state of our co-operative banks. I have travelled extensively visiting bank branches, visiting primary co-operative banks, visiting co-operative societies and, I think, the state of affairs is appalling. In fact, if you look at agricultural credit, it stands on three legs: one is the public sector banks, the other is the Regional Rural Banks and the third is the co-operative banks.

16.53 hrs [Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

While the public sector banks have become stronger in the last five to seven years, the Regional Rural Banks, by and large, have become stronger, though there are still a few which are weak, the health of the co-operative banks, I am sorry to say, has deteriorated over the last six or seven years. I think, all of us should share the responsibility. All of us belong to one party or the other which is ruling in one State or the other. If all over the country the co-operative banks are in a bad shape, then I am afraid, a very important arm of delivering credit to farmers and to those who are in the rural areas will be greatly affected. Therefore, I will bring a Bill, a comprehensive Bill to amend the Banking Regulation Act and that Bill will deal with many aspects of the co-operative banks. This Bill is an emergency measure. The Ordinance itself was an emergency measure to get over a situation that was caused by the judgement of the Supreme Court which held that the Reserve Bank of India did not have licensing authority over multi-State co-operative societies.

Besides the particular apex bank which was involved in that case which had branches in Maharashtra and Goa, there are 34 other multi-state co-operative societies which are in banking and if I had left a vacuum, then it would have caused a major problem both for the banks as well as the banking system. Therefore, this Ordinance was promulgated and I have come forward to replace the Ordinance and I am deeply grateful to the hon. Members for supporting the Bill.

Agricultural credit societies are not covered by the Banking Regulation Act. Therefore, we are not dealing with primary agricultural credit societies.

I want to take this opportunity just for a few minutes to answer some very pressing issues raised although they are not concerned with the Bill. But I think it will be unfair if I do not deal with them in a few minutes.

Firstly, there was a question about NABARD's lending rates. I think the hon. Member should know and tell his constituents that NABARD loans to banks at a rate which is between 5.25 per cent to 5.75 per cent. It is the primary society which adds to it. First the apex society adds, then the district society adds and then the primary society adds. Now, I have been around telling the Chief Ministers and the Chief Secretaries about it. I can understand adding one per cent at each level. Even if you add one per cent at each level, you can lend at a rate which is between 8.25 per cent to 8.75 per cent. But because they are burdened with such heavy NPAs which are caused by bad lending, they want to load the entire burden on production loans or crop loans. Some States were adding as much as two per cent at every level raising the ultimate rate to the farmer to over 11 per cent and 12 per cent. I think this is callous. The State Governments must realize that what they are doing is completely wrong. We are giving at 5.25 per cent to 5.75 per cent for production loans, and to the Land Development Banks which are long-term loans, we are giving at 5.5 per cent to 6.75 per cent. There is absolutely no justification for any farmer to get a production loan, say, beyond 8.5 per cent to 9 per cent. That is why, public sector banks today are lending to farmers at 8.5 per cent. The previous Government has set it at 9 per cent. Now, I think, this year, they have agreed to lend at 8.5 per cent.

Now, after the announcement was made on 18th June, you must be anxious to know how much we have lent. Last year, the lending was about Rs. 80,000 crore. This year, the target is Rs. 105,000 crore. At the end of October, banks have already lent Rs. 62,779 crore. Now, some figures have not come in from private banks. But we are well on the way to achieve our target. We will achieve our target this year and I assure you, that in three years, the target of agricultural credit will be doubled.

An hon. Member raised a question about insurance. One of the amendments made here is that DICGC Act will apply to deposits with co-operative banks. There was some complaint that we are charging unreasonable insurance premia. It is not so. The premium was five paise per Rs. 100. That was increased from the 1st of April, 2004 to eight paise per Rs. 100, that is, 0.08 per cent. Eight paise per Rs. 100 means the insurer has to take the responsibility for Rs. 100, and if anything happens to that Rs. 100, he will lose Rs. 99.92 after having collected eight paise. I do not think that the insurance premium is very high. But I am willing to look at it to see if we can keep it at this level for some more time.

17.00 hrs.

The coverage, of course, is up to Rs. 1 lakh. A suggestion was made that we should try to increase this coverage. I will look into that at the appropriate time. The bank pays the premium. The depositor does not pay the premium. It is the bank which pays the premium. But it comes out of the profits of the bank. To that extent, of course, the depositors' interest rates are lower. But the banks pay the premium.

The last point, of course, is the most vexed issue. A question was asked as to what do we do with the urban cooperative banks which seem to be collapsing everyday. It has happened in Andhra Pradesh; it has happened in Maharashtra; it has happened in Gujarat. I am afraid the State Governments simply cannot throw up their hands. They cannot say that they are not responsible. Let me make it very plain that it is the State Government which is responsible. It is the State Governments which must find a way to help the depositors. These are criminal acts. Who are these people who got elected to the Board of Directors of these banks? Many of them, unfortunately, are politicians. Many of them are either MLAs or former MLAs, or senior political leaders. To whom have they lent? They have lent to themselves, to their brothers, to their sisters, to their sons. Therefore, I think, we cannot throw up our hands and say that the bail out must come from the Centre. Now, what is the situation? Licences of 96 urban cooperative banks have been cancelled or rejected during the calendar years, 2002, 2003 and 2004.

As per the direction and recommendation of the Joint Parliamentary Committee, a complete ban on sanction of loans and advances by urban cooperative banks to the Directors and to the relatives of the Directors and firms and concerns in which the Directors are interested, has been imposed with effect from 1st of October, 2003. So, now the danger of sanctioning such loans is perhaps less. But, I am sure, unscrupulous people will find a way to lend even to a non-relative which will eventually find its way to the relative. Unless better people are elected and honest people are put on the Boards, how will these banks function?

Now, as far as the Madhepura Bank is concerned, a criminal complaint has been filed against the Chairman. The Bank was superseded, administrators have been appointed and a reconstruction scheme has been approved which is under implementation. It was done for Madhepura Bank. But for how many banks can one do this? How many banks can be bailed out? I think it is completely wrong, and there is a moral hazard argument that if you give them the impression that they can get away with all kinds of criminal acts and the Government of India will eventually bail them out, what will happen is more and more banks will fail. I think the State Governments must take stern action.

They have got a whole Department. In fact, an hon. Member said that in the State of Orissa they are virtually a Department. There is a huge Department under Registrar of Cooperative Societies and hundreds of cooperative sub-Registrars are there. What are they doing? What is the audit doing? I think it is a very sad state of affairs.

We are looking into agriculture credit through the cooperative sector. Vaidyanathan Committee is looking into it. They will come up with some recommendations. I will consider the situation. It is a grave situation. When I bring a comprehensive amendment to the Banking (Regulation) Act, I will try to the best of my ability to deal with what we have seen happening in 2002, 2003 and 2004. But ultimately the State Governments must bear the responsibility for cooperative institutions within the State. They must keep a strong vigil over those institutions.

I thank the hon. Members for their support. I request that the Bill be passed.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी जो मधेपुरा बैंक की बात कही और उससे पहले वहां से जो शुरुआत हुई, मैं उनसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। यह ठीक है कि आपने व्यवस्था की है और गुजरात सरकार की ओर से भी कुछ सजेशन दिये जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं, उनके पैसे आज तक भी पूरे वसूल नहीं हुए हैं। वे लोग बहुत दुखी हैं। अगर गुनाहगार लोगों को सही तरीके से सजा नहीं होगी तो दूसरे कोऑपरेटिव सैक्टर के बैंक भी ऐसी ही कार्यवाही करना चाहेंगे।

दूसरी बात यह है कि इसी बहाने से रिजर्व बैंक की ओर से गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की क्या कोई इन्क्वायरी चल रही है। कहीं ऐसा न हो कि कोऑपरेटिव व सैक्टर को ध्यान में रखकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों को भी दबाया जाए, जो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और छोटे किसानों को बहुत राहत पहुंचाते हैं, जहां लोग इंडस्ट्रियल लोन नहीं लेते हैं, वहां किसानों को लोन दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे लोगों को जो लोन दिया जाता है, वह मिलता रहे और जिला सहकारी बैंकों के खिलाफ कोई ऐसी साजिश न हो जिससे उनके लिए खतरा पैदा हो और यदि ऐसा हो, तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कोई ऐसा कानून हो, जो ऐसे खतरों को रोक सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अप्रत्यक्ष रूप से मुझे डाउट है कि जो नेशनलाइज्ड बैंकों के डायरेक्टर्स हैं, वे ही आगे-पीछे रिजर्व बैंक में जाते हैं। यदि कोऑपरेटिव सैक्टर की सोसायटियां बन्द हो जाएंगी, तो नेशनलाइज्ड बैंकों में डिपॉजिट्स ज्यादा आएंगे। इससे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक और सहकारी समितियां जो अच्छी तरह चल रही हैं, वे कहीं बन्द न हो जाए, इस बारे में प्रीकॉशन लेने और आपकी ओर से कोई मार्गदर्शन हो, ऐसा मैं चाहूंगा।

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDHANA): I had raised the point regarding liquidation of that Apex Urban Cooperative Bank.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, about that Bank, the licence was directed to be cancelled by the Supreme Court of India. There was no other bank which could have taken it over. That bank went into self-liquidation and the assets were distributed to the primary cooperative banks, I think, to the shareholders of that Apex Bank. This is the information that I have.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, I had raised a very important point as to why the deposits are less.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): The hon. Minister has raised a point about just doubling the rural credit within the next three years. As a Member of the Standing Committee on Finance, I can say that he is doing a commendable job in that regard. But the thing is that he wants to double the rural credit within three years. Because of non accessibility to credit by the farmers, the farmers committed suicide. Within the last six months., in Andhra Pradesh only, 1860 farmers committed suicide. Is he trying to just know the reason? Even if he has increased the credit, suicides are taking place. What is the reason for this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point. This is not related to this subject. Please sit down.

SHRI KHARABELA SWAIN : I hope as the Finance Minister, at least he would look into this matter. Maybe, Sir, he is not so much related to this particular subject. But I would appeal to him to look into this matter.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, the hon. Minister has pointed out in the debate that there are accumulated NPAs of the Banks. To recover that, the burden of the accumulated NPAs is now coming on the interest rates which the banks are charging for future loans. This is a problem which is going to be a perpetual problem because the past NPA loan burden is going to be carried forward. So, the best way to look at it is how we actually ensure that this is not done because this is the real problem.

Secondly, the hon. Minister just mentioned answering my colleague about the Apex Bank. So, there is the apex structure at the State level. But in the cooperative system, there is no federation at the national level. There is no national apex cooperative bank. Then, there is an application which is pending regarding the Cooperative Bank of India. What is the view of the Government on that?

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): It has appeared in the *Economic Times* of yesterday that the Government is considering a proposal to merge the Regional Rural Banks with the Commercial Banks. I would like to know whether it is a fact or not. I want to be clarified whether there is any such proposal. Our proposal is to have the

National Rural Bank and not to merge with any Commercial Bank or sponsoring bank.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This does not relate to it. Shri Ramji Lal Suman.

I think he is not present here. Since the Mover of the Resolution Shri Ramji Lal Suman is not present in the House, I put to vote the Statutory Resolution.

The question is:

"That this House disapproves of the Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Ordinance, 2004 (No. 3 of 2004) promulgated by the President on 24th September, 2004. "

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949 and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 3rd December, 2004, at 11.00 a.m.

17.11 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, December 3, 2004/Agrahayana 12, 1926 (Saka).*
